राजस्थान सरकार

नाथद्वारा मास्टर प्लान

(2011–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर

आवास विकास लिमिटेड
राजस्थान , जयपुर

इन्डीगो डिजाइन एण्ड इन्जीनियरिंग
एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड,गुड़गाँव

प्रस्तावना

नाथद्वारा, राजस्थान के राजसंमद जिले का प्रमुख तीर्थ स्थान है तथा वल्लभ सम्प्रदाय की यह एक सुप्रतिष्ठित पीठ है। नाथद्वारा नगर, संभागीय मुख्यालय उदयपुर से 48 किमी. उत्तर में, जिला मुख्यालय राजसंमद से 15 किमी. दक्षिण में, राज्य की राजधानी जयपुर से 376 किमी. व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 597 किमी. दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग–8 व राज्य राजमार्ग व 49 के संगम पर स्थित है।

नाथद्वारा को वर्ष 1901 के पूर्व से ही नगर का दर्जा प्राप्त था। वर्ष 1901 में नगर की जनसंख्या 8591 थी। कस्बे की जनसंख्या में उतार–चढ़ाव का दौर रहा। कस्बे में सर्वाधिक वृद्धि दर 36.02 प्रतिशत, वर्ष 1971 में दर्ज की गई जो कि एक रिकॉर्ड है। इस दशक में ग्रामीण जनता का रूझान शहरोंध्कस्बों की ओर पलायन का रहा है। वर्ष 1941 से 2011 तक पिछले 7 दशकों का अवलोकन करें तो वर्ष 2011 तक मात्र 4 गुणा वृद्धि के साथ जनसंख्या 44523 व्यक्ति हो पाई। नगर का क्षेत्रफल 18.16 वर्ग किमी. है इसलिए नगर का जनसंख्या घनत्व 2322 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है।

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प 10(8) नविवि/3/97 जयपुर दिनांक 13.7.11 के द्वारा नाथद्वारा नगर का मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को अधिकृत किया । उक्त अधिसूचना के अनुसरण में आई.टी.पी.आई, जयपुर के माध्यम से इन्डीगो डिजाइन एण्ड इन्जीनियरिंग एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड ,गुड़गाँव द्वारा विस्तृत भौतिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के पश्चात क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए नाथद्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया । उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम 1962 के नियम 3 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक यूडीआर 1120/एम.पी./नाथद्वारा दिनांक 28–03–2012 के तहत मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया गया । मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के आशय की अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप की प्रतियां सबंधित विभागों नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त स्वायत्तशाषी सस्थाओं ग्राम पंचायतों को भी आपत्ति/सुझाव के

लिए भेजी गई। नाथद्वारा मास्टर प्लान प्रारूप पर प्रर्दशनी स्थल पर निर्धारित समयावधि दिनांक 28–04–2012 तक कुल 42 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये, जिसमें से 29 व्यक्तिगत 08 समूह से एवं 04 आपत्ति/सुझाव राजकीय/अर्द्ध–राजकीय कार्यालय तथा 01 आपत्ति/सुझाव संस्थागत रूप से प्राप्त हुए है। 42 आपत्ति/सुझाव पत्रों के द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान के विभिन्न 76 बिन्दुओं/पहलुओं के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव अंकित किए गए । 76 बिन्दुओं में से 14 स्वीकृत योग्य, 02 आंशिक स्वीकृत योग्य, 08 अस्वीकृत योग्य 52 में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं पाया गया ।

इस प्रकार नाथद्वारा मास्टर प्लान भू–उपयोग योजना मानचित्र में स्वीकृत आपत्ति/सुझावों के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(एस.के. श्रीमाली)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
उदयपुर जोन, उदयपुर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा 3 के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प. 10 (8) नविवि./3/97 दिनांक 22.11.2012 को अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट–3)

योजना–दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर

1.	श्री एस.के श्रीमाली	वरिष्ठ नगर नियोजक
2.	श्री राजश वर्मा	उप नगर नियोजक
3.	सुश्री रितु शर्मा	सहायक नगर नियोजक
4.	श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार	सहायक नगर नियोजक
5.	श्री प्रसुन चतुर्वेदी	सहायक नगर नियोजक
6.	श्री पीयूष पारेता	सहायक नगर नियोजक
7.	श्री बाबू लाल	सहायक नगर नियोजक
8.	श्री दिनेश चन्द उपाध्याय	अनुसंधानकर्ता द्वितीय,
9.	श्री अब्दुल हफीज	कनिष्ठ प्रारूपकार
10.	श्री विनोद सुखवाल	कनिष्ठ प्रारूपकार
11.	श्री रामावतार	कनिष्ठ प्रारूपकार
12.	श्री अंकित शर्मा	कनिष्ठ अभियंता

योजना–दल

इण्डिगों डीजायन एंव इन्जिनिरिंग एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, कन्सलटेन्ट

1.	श्री समीर नरुला	चीफ कन्सलटेन्ट
2.	श्री दीपेन्द्ध सिंह	नगर नियोजक
3	श्री समय चंढीयोक	नगर नियोजक
3.	श्री लुकमान	कनिष्ठ प्रारूपकार
4.	सुश्री मंजु शर्मा	कम्प्यूटर ओपरेटर

विषय सूची

प्रस्तावना		**i**
योजना–दल		**iii**
विषय सूची		**iv**
तालिका सूची		**viii**
1	**परिचय**	**1**
2	**विद्यमान विशेषताएँ**	**3**
2.1	भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	
2.2	क्षेत्रीय परिपेक्ष्य	
2.3	ऐतिहासिक	
2.4	जनांकिकी	
2.5	व्यावसायिक संरचना	
2.6	वर्तमान भू–उपयेाग	
2.7	आवासीय	
2.8	वाणिज्यिक	
2.9	औद्योगिक	
2.10	राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय	
2.11	आमोद–प्रमोद	
2.12	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	
2.12.1	शैक्षणिक	
2.12.2	चिकित्सा सुविधाएँ	
2.12.3	सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक	
2.12.4	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	

2.13 जनोपयोगी सेवाएँ

2.13.1 जलापूर्ति

2.13.2 जल मल निकास एवम् ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

2.13.3 विद्युत आपूर्ति

2.13.4 श्मशान एवं कब्रिस्तान

2.14 परिसंचरण

2.14.1 यातायात व्यवस्था

2.14.2 बस तथा ट्रक टर्मिनल

2.14.3 रेल एवम् हवाई सेवा

2.15 पर्यटन

2.16 गौशालाएँ

3 नियोजन की संकल्पना 22

3.1 नियोजन की नीतियाँ

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

4 भावी आकार 27

4.1 जनांकिकी

4.2 व्यवसायिक संरचना

4.3 नगरीय क्षेत्र

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

4.5 प्रस्तावित योजना परिक्षेत्र

4.5.1 श्रीनाथ जी मंदिर योजना परिक्षेत्र – अ

4.5.2 सुखाड़िया नगर योजना परिक्षेत्र– ब

4.5.3 लाल बाग योजना परिक्षेत्र– स

4.5.4 परिधि नियंत्रण पट्टी – द

5 भू–उपयोग योजना 35

5.1 आवासीय

5.1.1 आवासन

5.1.2 फुटकर व्यवसाय (इन्फॉरमल सेक्टर) के लिए आवास

5.1.3 नगरीय नवीनीकरण

5.2 वाणिज्यिक

5.2.1 केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र

5.2.2 सामुदायिक केन्द्र

5.2.3 थोक व्यापार एवम् विशेष बाजार

5.2.4 भण्डारण एवम् गोदाम

5.3 औद्योगिक

5.4 राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय

5.5 आमोद–प्रमोद

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

5.6.1 शैक्षणिक

5.6.2 चिकित्सा

5.6.3 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

5.6.4 सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटन

5.7 जन उपयोगी सुविधाएँ

5.7.1 जलापूर्ति

5.7.2 जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

5.7.3 विद्युत आपूर्ति

5.7.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

5.8 परिसंचरण

5.8.1 प्रस्तावित परिसंचरण योजना

5.8.2 सड़क विस्तार एवं सुधार

5.8.3 चौराहों का सुधार

5.8.4 बस स्टैण्ड एवं परिवहन नगर

5.8.5 पार्किंग व्यवस्था

5.8.6 रेल एवम् हवाई सेवा

5.9 परिधि नियंत्रण क्षेत्र

5.10 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण

6 योजना का क्रियान्वन **55**

6.1 वर्तमान आधार

6.2 क्रियान्वन में सहयोग

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

6.4 भू–उपयोग एवं भूमि अवाप्ति

6.5 उपसंहार

परिशिष्ट

1 (अ) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

1 (ब) राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

2 राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.07.2011

3 राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.11.2012

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका – 1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, नाथद्वारा–1901–2011	7
तालिका – 2	व्यावसायिक संरचना, नाथद्वारा–1991–2011	8
तालिका – 3	विद्यमान भू उपयोग, नाथद्वारा–2011	9
तालिका – 4	राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय, नाथद्वारा–2011	12
तालिका – 5	शैक्षणिक संरचना, नाथद्वारा–2011	14
तालिका – 6	जलापूर्ति वितरण, नाथद्वारा–2011	17
तालिका – 7	विद्युत आपूर्ति, नाथद्वारा–2011	19
तालिका – 8	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, नाथद्वारा–1981–2031	29
तालिका – 9	प्रस्तावित व्यवसायिक संरचना, नाथद्वारा–2031	30
तालिका – 10	योजना परिक्षेत्र, नाथद्वारा वर्ष–2031	32
तालिका – 11	भू–उपयोग योजना, नाथद्वारा वर्ष–2031	36
तालिका – 12	वाणिज्यिक गतिविधियों के भू–उपयेाग का वितरण, नाथद्वारा–2031	39
तालिका – 13	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, नाथद्वारा–2031	44
तालिका – 14	विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, नाथद्वारा–2031	50
तालिका – 15	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, नाथद्वारा–2031	50

1
परिचय

1

परिचय

नाथद्वारा, राजस्थान के राजसंमद जिले का प्रमुख तीर्थ स्थान है तथा वल्लभ सम्प्रदाय की यह एक सुप्रतिष्ठित पीठ है। इस कस्बे में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मन्दिर है, जिसकी सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक अलग ही महिमा है। श्रीकृष्ण के सात रूपों में एक रूप श्रीनाथ जी का है।

नाथद्वारा नगर, संभागीय मुख्यालय उदयपुर से 48 किमी. उत्तर में, जिला मुख्यालय राजसंमद से 15 किमी. दक्षिण में, राज्य की राजधानी जयपुर से 376 किमी. व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 597 किमी. दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग–8 व राज्य राजमार्ग व 49 के संगम पर स्थित है।

अरावली की सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी व बनास नदी पर बसा होने से प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है।

नाथद्वारा नगर भारत के प्रमुख वैष्णव केन्द्रों में से एक है। इसमें प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण का है, जो श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पूरे वर्ष, देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आते हैं। सबसे अधिक लोग गुजरात राज्य से आते हैं।

नाथद्वारा को वर्ष 1901 के पूर्व से ही नगर का दर्जा प्राप्त था। वर्ष 1901 में नगर की जनसंख्या 8591 थी। कस्बे की जनसंख्या में उतार–चढ़ाव का दौर रहा। कस्बे में सर्वाधिक वृद्धि दर 36.02 प्रतिशत, वर्ष 1971 में दर्ज की गई जो कि एक रिकॉर्ड है। इस दशक में ग्रामीण जनता का रूझान शहरोंध्कस्बों की ओर पलायन का रहा है। वर्ष 1941 से 2011 तक पिछले 7 दशकों का अवलोकन करें तो वर्ष 2011 तक मात्र 4 गुणा वृद्धि के साथ जनसंख्या 44523 व्यक्ति हो पाई। नगर का क्षेत्रफल 18.16 वर्ग किमी. है इसलिए नगर का जनसंख्या घनत्व 2322 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है।

कस्बे का विकास अनियोजित, अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, अव्यवस्थित चौराहा, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों, पुरामहत्व की हवेलियों के विकास के साथ–साथ ही इन क्षेत्रों में आधारभूत जन–सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ अनेक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अनियोजित रूप से आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं गंदे पानी की निकासी तथा जलप्रवाह प्रणाली की भी पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन–जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी को देखते हुए, कस्बे के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है।

2
विद्यमान विशेषताएँ

2
विद्यमान विशेषताएँ

एक नगर, मानवीय गतिविधियों का मुख्य केन्द्र होता है जो कि अपने आस–पास के क्षेत्र से विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखता है। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यह अपने स्वयं के कार्य–कलापों को उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले दशकों में नगर के विकास को सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित करने हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, क्षेत्र के सापेक्ष नगर की स्थिति, इसके योगदान तथा महत्व का अध्ययन किया जावे। साथ ही इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक संरचना, भू उपयोग तथा विकास प्रवृत्ति एवं प्रगति का भी अध्ययन किया जाये जिससे योजना मानवीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके।

नाथद्वारा कस्बा, राजसंमद जिले का उपखण्ड मुख्यालय है। इस उपखण्ड मुख्यालय के अन्तर्गत 222 ग्राम शामिल हैं।

इस क्षेत्र में जल का मुख्य स्त्रोत बनास नदी पर विकसित नन्द समंद बाँध है। खनिज सम्पदा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र उत्तम है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सोप स्टोन, लाइम स्टोन, मेगनीज एवं संगरमरमर इत्यादि खनिज बहुतायात में पाये जाते हैं। संगरमरमर पत्थर की विपुलता के कारण नगर व इसके आस–पास के क्षेत्रों में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग की अनेक ईकाईयां कार्यरत हैं।

नगर में श्रीनाथ जी के मन्दिर व अन्य क्रियाकलापों के बढने की वजह से नाथद्वारा तीव्रगति से विकास की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, यातायात, कुटीर उद्योग, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं तथा जनसंख्या व पर्यटकों/भक्तों में विगत दशाब्दी में काफी प्रगति हुई है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु

नाथद्वारा एक तरफ बनास नदी तथा एक ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। यह ऊंची–नीची पथरीली भूमि पर बसा हुआ है। कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणियों से निकली चम्बल की सहायक नदी बनास नाथद्वारा के समीप अर्द्ध चन्द्राकार रूप में घूमती है। नदी के सहारे समतल भूमि होने से यहाँ पर खेती की पैदावार की

जाती है। खेती में रबी, खरीफ व जायद की फसलें तैयार की जाती हैं इनमें मुख्यतः जौ, चना, गेहूं, सरसों, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, उडद, मूंगफली, कपास, गन्ना व तरबूज व ककड़ी आदि की पैदावार की जाती है। इनके अलावा सब्जियां भी तैयार की जाती हैं।

यहाँ की मिट्टी काली चिकनी होने से फसल के लिए उपजाऊ है। कस्बे के आस–पास अधिकतर पत्थरीली मिट्टी है। नाथद्वारा से 12 किमी. दूर पश्चिम में बनास नदी पर नन्द समंद बांध है जिससे कृषि की पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होने के कारण स्वास्थ्य वर्द्धक है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस व सर्दियों में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मी के मौसम में काफी गर्मी रहती है तथा इस मौसम में चलने वाली शुष्क हवाओं की वजह से मौसम असहनीय हो जाता है। यह शुष्क तापक्रम कभी–कभी 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। इस अवधि में आद्रता 20 प्रतिशत या इससे कम होती है। जून के अन्तिम सप्ताह में दक्षिणी–पश्चिमी मानसून के कारण इस क्षेत्र में वर्षा होती है। इस कारण से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है।

मानसून अवधि में हवा में आर्दता 70 प्रतिशत या अधिक रहती है शेष अवधि में हवा सामान्यतः शुष्क रहती है। ग्रीष्म ऋतु में हवायें दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर चलती हैं। कस्बे की औसत वार्षिक वर्षा 652.5 मिलीमीटर होती है। वर्षा का दौर प्रायः जून से सितम्बर के मध्य में रहता है।

2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य

नाथद्वारा कस्बा दक्षिणी राजस्थान में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य, बनास नदी के किनारे पर $24^0$56′ उत्तरी अक्षांश तथा $74^0$50′ पूर्वी देशान्तर व माध्य समुद्र तल से 585 मीटर ऊंचाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग–8 व राज्य राजमार्ग 49 के संगम पर बसा हुआ है।

नाथद्वारा का सड़क मार्ग से उदयपुर, मथुरा, अहमदाबाद, दिल्ली, अजमेर, जयपुर व देश–प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छा सम्पर्क है। यह जिला मुख्यालय से 15 किमी. व राज्य की राजधानी जयपुर से 376

किमी. दूर दक्षिण व उदयपुर से 48 किमी. दूर उत्तर में स्थित है। नाथद्वारा को रेल सेवा 11 किमी. दूर पूर्व दिशा में मण्डीयाना शहर से उपलब्ध है।

2.3 ऐतिहासिक

महाप्रभु श्री वल्लभाचार्यजी के परम आराध्य ब्रज जनों के प्रिय श्रीनाथजी के विग्रह की सुरक्षा करना उनके वंशज गोस्वामी बालकों का प्रथम कर्तव्य था। इस दृष्टि से श्री विट्ठलनाथजी के पौत्र श्रीदामोदरजी स्वयं अपने काका गोविन्दजी, बालकृष्णजी एवं श्री वल्लभजी ने श्रीनाथजी के विग्रह को प्रभु आज्ञा से ब्रज छोड़ देना उचित समझा और समस्त धन इतयादि को वहीं छोड़कर एक मात्र अपने प्रिय श्रीनाथजी को लेकर वि.स. 1726 आश्विन शुक्ला 15 शुक्रवार की रात्रि के पिछले प्रहर रथ में पधराकर ब्रज से प्रस्थान किया।

''अंत में मेवाड़ राज्य के सिंहाड़ नामक स्थान पहुंचकर स्थायी रूप से विराजमान हुये।'' उस काल में मेवाड़ के राजा राजसिंह सर्वाधिक शक्तिशाली हिन्दु नरेश थे। इन्होने औरंगजेब की उपेक्षा कर पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों को आश्रय और संरक्षण प्रदान किया।

संवत् 1728 कार्तिक माह में श्रीनाथजी सिंहाड़ पहुंचे वहां मंदिर बन जाने पर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी शनिवार को उनका पाटोत्सव किया गया।

श्रीनाथजी के कारण मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध ग्राम सिंहाड़ अब श्री नाथद्वारा नाम से भारत में ही नहीं विश्व में सुविख्यात है। सेवा भावना के विशेष रूप को प्राणान्वित किया। उन्होने अपने अष्टछाप के भक्त कवियों को अष्टयाम दर्शनों के लिये कीर्तन की सेवा प्रदान की। श्री गुसांईजी के जीवन काल में श्रीनाथजी की अष्टयाम सेवा भावना का क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता गया।

तद्नुसार छः वर्ष घसियार वास करने के बाद वि.स. 1864 में भगवान श्रीनाथजी अपने दल बल सहित अनेक भक्तों के साथ युद्ध भूमि हल्दीघाटी के बीहड़ रास्ते से खमनोर होते हुए पुनः नाथद्वारा पधारे। तब से घसियार में आज भी चित्रजी की सेवा होती है मनोरथ उत्सव होते हैं नाथद्वारा मंदिर की वहां प्रतिकृति है।

तत्कालीन समय में यह क्षेत्र मेवाड़ रियासत के अन्तर्गत था। मेवाड़ के शासक महाराणा राजसिंह (उदयपुर) ने श्रीनाथ जी की सुरक्षा के लिए चार दीवारी के साथ सैनिक तैनात किये। सुरक्षा के कठोर सुप्रबन्ध के कारण यह नगरी कालान्तर में विकसित होती रही।

नाथद्वारा नगर भारत के प्रमुख वैष्णव केन्द्रों में से एक है, इसमें प्रमुख मन्दिर भगवान श्रीकृष्ण का है जो श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर वर्षभर देश व विदेशों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भारतवर्ष में मेवाड़, तीर्थ स्थलों के साथ ऐतिहासिक शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। अरावली की सुरम्य घाटियों की परिधि से लगी राजस्थान की धर्मावली राणा प्रताप की रणस्थली हल्दीघाटी नाथद्वारा से 16 किमी. दूर है।

मन्दिर के बढ़ते कार्यकलापों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रबन्धन एवं संचालन हेतु नाथद्वारा मन्दिर एक्ट 1959 जारी कर, मन्दिर मण्डल की स्थापना की गई। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु मुख्य निष्पादन अधिकारी नियुक्त किया गया। नाथद्वारा मण्डल के अधीन यात्रियों की सुविधा हेतु 14 धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया, साथ में अन्य सुविधाऐं भी उपलब्ध करवाई गयीं।

2.4 जनांकिकी

नाथद्वारा की जनसंख्या वर्ष 1901 में 8591 थी। वर्ष 1941 तक इस नगर की जनसंख्या में उतार–चढ़ाव का दौर रहा। वर्ष 1951 से वर्ष 2011 तक जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। पिछले छः दशकों में सर्वाधिक वृद्धिदर दशक 1961–1971 के मध्य 36.02 प्रतिशत व सबसे कम वृद्धिदर दशक 1941–1951 के मध्य 14.04 प्रतिशत पाई गई जो जिला स्तर पर वृद्धिदर 17.89 प्रतिशत से कम है। नाथद्वारा में वर्ष 1961 से प्रति दशक लगभग 6000 व्यक्ति ही बढ़ रहे हैं परन्तु वृद्धिदर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नाथद्वारा की जनसंख्या 37026 थी। नाथद्वारा में लिंगानुपात वर्ष 1981 से 2001 तक लगातार घटता जा रहा है। वर्ष 1981 में 1000 पुरूषों पर 929 महिला थीं वहीं वर्ष 1991 व वर्ष 2001 में लिंगानुपात क्रमशः 1000:920 व 1000:916 दर्ज किया गया। नाथद्वारा का

क्षेत्रफल वर्ष 2001 में 1816 हैक्टेयर है इसलिए जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर था। नाथद्वारा की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका–1 में दर्शाया गया है।

तालिका–1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, नाथद्वारा 1901–2001

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत में दशाब्दी
1901	8591	–	–
1911	5425	–3166	(–) 36.86
1921	8524	+3099	(+) 57.12
1931	8506	–18	(–) 0.21
1941	9704	+1198	(+) 14.04
1951	12341	+ 2637	(+) 27.17
1961	13890	+1549	(+) 12.55
1971	18893	+ 5003	(+) 36.02
1981	24856	+ 5963	(+) 31.56
1991	30878	+ 6022	(+) 24.23
2001	37026	+ 6148	(+) 19.91

(स्त्रोत : जनगणना भारत सरकार, राजस्थान 1901–2001)

2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नाथद्वारा कस्बे में कार्यशील व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 28.58 प्रतिशत था, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 29.72 प्रतिशत हो गया। आधार वर्ष 2011 के लिए कस्बे के कार्यशील व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 32 प्रतिशत होने का अनुमान है।

कस्बे में उद्योग, व्यापार व अन्य सेवाओं में कार्यशील व्यक्तियों की सहभागिता अधिक रही है। इसका प्रमुख कारण नाथद्वारा कस्बा राजसमंद जिले का मुख्य धार्मिक स्थल होने के साथ उपखण्ड मुख्यालय होने से यहां पर प्रशासनिक, वाणिज्यिक, घरेलू उद्योग व खनन कार्य विकसित हो रहे हैं। तालिका –2 में नाथद्वारा की व्यावसायिक संरचना दर्शायी गई है:–

तालिका–2

व्यावसायिक संरचना, नाथद्वारा 1991–2001

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001	
		श्रमिक	प्रतिशत	श्रमिक	प्रतिशत
1.	कृषि एवं कृषक	868	9.83	326	2.97
2.	खनन एवं संबंधित क्रियाऐं	62	0.70	–	–
3.	उद्योग एवं गृह उद्योग	1781	20.18	2307	20.97
4.	निर्माण कार्य	417	4.72	–	–
5.	व्यापन व्यवसाय	2193	24.86	–	–
6.	यातायात, परिवहन	699	7.93	–	–
7.	अन्य सेवायें	2805	31.78	8371	76.07
	योग	**8825**	**100.00**	**11004**	**100**
	सहभागिता अनुपात		28.58		29.72

(स्त्रोत : जनगणना भारत सरकार, राजस्थान 1991–2001)

2.6 वर्तमान भू–उपयोग

नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र 18.6 वर्ग किमी. अर्थात् 4487.16 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जिसके अन्तर्गत पहाड़ियां, जलाशय, बंजर भूमि व बागान इत्यादि आते हैं। वर्णित नगरीय क्षेत्र में से केवल 1093. 54 एकड़ ही वास्तविक रूप से विकसित नगरीय क्षेत्र है और शेष क्षेत्र के अन्तर्गत रिक्त भूमि एवं पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं।

तालिका–3

वर्तमान भू उपयोग, नाथद्वारा 2011

क्र. सं.	भू उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	586.18	53.60	26.49
2	वाणिज्यिक	62.32	5.70	2.82
3	औद्योगिक	86.24	7.89	3.90
4	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय	31.68	2.90	1.43
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	130.97	11.98	5.92
6	मनोरंजन	78.95	7.22	3.57
7	परिसंचरण	117.2	10.72	5.30
	विकसित क्षेत्र	**1093.54**	**100.00**	
8	जलाशय	89.28		4.03
9	कृषि भूमि	283.73		12.82
10	रिक्त भूमि	283.7		12.82
11	वन क्षेत्र	462.9		20.92
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	**2213.15**		**100.00**

(स्त्रोत : कन्सल्टेन्ट सर्वेक्षणए 2011)

2.7 आवासीय

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या 30878 थी जिसमें से कुल परिवारों की संख्या 5575 एवं आवासीय मकानों की संख्या 5537 थी। वर्ष 2001 में जनसंख्या 37026 थी जिनमें कुल 6679 परिवार हैं, इनके पास 6549 आवासीय मकान हैं जिसमें से लगभग पुराने नगर में 65 प्रतिशत जनसंख्या परकोटे में निवास करती है। चारदीवारी के अन्दर की आबादी का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति एकड़ है जबकि कुछ बस्तियों में आबादी का घनत्व 200 से भी अधिक है। नगर के बाहरी विकसित क्षेत्र का जनंसख्या घनत्व केवल 45 व्यक्ति प्रति एकड़ है। वर्तमान में 1093.54 एकड़ समग्र विकसित क्षेत्र के भू–भाग में से 586ण्18 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में ली जा रही है जो विकसित क्षेत्र का 53ण्60 प्रतिशत

है। पुराने नगर के क्षेत्र में निरन्तर जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। नगर क्षेत्र के आस–पास विकसित भूमि उपलब्ध नहीं है वहीं दूसरी ओर सुखाड़िया नगर, तेलियों की तलाई एवं लोधाघाटी क्षेत्र मे जनसंख्या का घनत्व कम है। पुराने शहर व नये विकसित क्षेत्र के मध्य स्थित रिक्त भूमि पर विकास होने की संभावनायें हैं।

2.8 वाणिज्यिक

नाथद्वारा उपखंड मुख्यालय का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र होने के साथ ही प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही यहाँ पर व्यवस्थित आर्थिक विकास के कारण वाणिज्यिक गतिविधियाँ तेजी से विकसित हुई हैं। पिछले दशकों में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यशील जनंसख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुरानी आबादी क्षेत्र नगर के मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है, जहाँ पर फुटकर व थोक व्यापारिक लेन–देन होता है। यहां के मुख्य बाजारों में लाल बाजार, चौपाटी, नया बाजार, मंदिर मार्ग, इन्द्रा बाजार इत्यादि हैं। नया व्यापारिक क्षेत्र वर्तमान बस स्टैण्ड के पास तथा राजसमंद रोड के आस–पास विकसित हुआ है। नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 5.70 प्रतिशत भाग व्यावसायिक उपयोग के अन्तर्गत आता है। लाल बाग के पास कृषि उपज मंडी समिति कार्यरत है जिसमें कृषि की सभी जिन्सों का व्यापार होता है। मुख्य उपज गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि का व्यापार मुख्य है। नाथद्वारा में मार्बल व्यापार राजसमंद रोड पर विकसित हो रहा है।

2.9 औद्योगिक

नाथद्वारा में कुल 52 छोटे पैमाने की औद्योगिक ईकाईयां कार्यरत हैं इनमें मुख्यतः सोप स्टोन एवं चिप्स क्रेशर, आरा मशीन तथा स्टोन कटिंग एण्ड पोलिशिंग है। ये ईकाइयां राष्ट्रीय राज्य मार्ग नं.–8 पर ग्राम उपली ओडन के पास स्थित हैं। नाथद्वारा की औद्यागिक संरचना में अनेक कुटीर एवं गृह सेवा उद्योग जैसे आटा चक्की, सुनारी कार्य, मीनाकारी, चित्रकारी, रंगाई छपाई, मरम्मत वर्कशाप आदि आबादी क्षेत्र व नगर के मध्य व आस–पास कार्यरत हैं।

विगत दशाब्दी से नाथद्वारा में कुटीर उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला है। देश विदेश में यहाँ की चित्रकारी, पेन्टिंग, मीनाकारी, कपड़ों की छपाई, बंधेज एवं गुलाब जल आदि प्रसिद्ध हैं। इन उद्योगों का विकास वाणिज्यिक दृष्टिकोण से काफी तीव्र गति से हो रहा है। प्रारम्भ में इन कुटीर उद्योगों के विषय का आधार धार्मिक था, वर्तमान में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेशों में भी इनकी माँग बढ़ने से इनको काफी प्रोत्साहन मिला है।

कुटीर उद्योग

यहाँ के निवासियों ने अपनी परम्परागत शैली के साथ, आधुनिक तकनीक के अनेक कुटीर उद्योग विकसित किये हैं। इनमें से कई उद्योग तो विश्वख्यिात हैं। जिनमें प्रमुख निम्न हैं।

चित्रकारी यहाँ की चित्रकला विश्व विख्यात है जिसमें प्राकृतिक रंगों के उपयोग से प्राचीन शैली को जीवन्त बनाया हुआ है। यहाँ के चित्रों में पौराणिक तथा प्राकृतिक दृश्यों का समावेश है।

मीनाकारी सोना और चांदी पर मीनाकारी का कार्य यहाँ के प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों में है। यहाँ पर चांदी पर किसी विशेष दृश्य की खुदाई कर उस पर मीनाकारी की जाती है, जो आभूषणों की शोभा में वृद्धि करता है। आभूषणों में माला, कर्णफूल इत्यादि प्रमुख हैं।

वाद्य मंदिर के कारण इस कला की नाथद्वारा में पर्याप्त उन्नति हुई है। मंदिर में वाद्य कला विद् व्यक्तियों को अच्छा आश्रय प्राप्त है। यही कारण है कि यहाँ के कई वाद्य कलाकार बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।

रंगाई छपाई कार्य नाथद्वारा में रंगाई छपाई का कार्य प्राकृतिक रंगों से बड़ी उत्तमता से किया जाता है। इसके अन्तर्गत कपड़ों को रंग कर उन पर अनेकों प्रकार के बेल–बुटों को छापा जाता है। जिन्हें मारवाड़ एवं गुजरात में बहुत पसन्द किया जाता है।

गुलाब जल व इत्र बनाना श्रीनाथजी के मंदिर में इन दोनों वस्तुओं की भी बड़ी मांग रहती है। इत्र व गुलाब जल मंदिर में ही तैयार किया जाता है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर खमनोर नामक ग्राम में गुलाब की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है। इत्र व गुलाब जल काफी मात्रा में तैयार किया जाता है। जिसको स्थानीय प्रयोग के अतिरिक्त नगर के बाहर भी भेजा जाता है।

अन्य लकड़ी के खिलौने, गुड़ बनाना, मोटर व्यवसाय, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी बनाना, शहद–इकट्ठा करना व लोहे के सामान आदि व्यवसाय यहां के अन्य उद्योग धन्धे हैं।

2.10 राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय

नगर के उप खण्ड मुख्यालय की स्थापना के साथ ही राजकीय एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों ने नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाथद्वारा में 26 राजकीय व अर्द्ध राजकीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनमें 1306 कर्मचारी नियोजित हैं। वर्तमान में इन कार्यालयों में से 23 राजकीय भवनों एवं 3 किराये के भवनों में संचालित हैं। केन्द्रीय कार्यालयों की श्रेणी में डाक–तार विभाग, टेलीफोन एक्सचेन्ज एवं दूरदर्शन केन्द्र हैं।

तालिका–4

राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय, नाथद्वारा–2011

क्र.सं.	कार्यालय	कार्यालयों की संख्या
1.	केन्द्रीय सरकार	03
2.	राज्य सरकार	19
3.	अर्द्ध सरकारी	04
	योग	**26**

(स्त्रोत : कन्सल्टेन्ट सर्वेक्षणए 2011)

नगर में मंदिर मंडल का सबसे बड़ा कार्यालय है जिसमें लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। नाथद्वारा में नगर पालिका की स्थापना 28 मई 1951 को हुई जो इस नगर की सफाई, सड़क निर्माण,

नालियों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु की गई है। नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 2.90 प्रतिशत भाग राजकीय व अर्द्ध राजकीय उपयोग के अन्तर्गत आता है।

2.11 आमोद–प्रमोद

नाथद्वारा में एक ही खुला स्थान (स्टेडियम) है जो कि बस स्टैण्ड के पीछे कृषि उपज मंडी के पास स्थित है। नगर में मंदिर मंडल के 13 सुव्यवस्थित उद्यान हैं जिनमें से एक लालबाग उद्यान है जो जन–साधारण के लिए खुला रहता है। इसके अतिरिक्त मुख्यतः वृन्दावन बाग, घटियावाला बाग, कच्छवाई बाग, रातड़ियां बाग, गणगौर बाग आदि हैं। नगर में खुले स्थान, खेल के मैदान व अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों का अभाव है। पुरानी आबादी में तो खुले स्थानों व उद्यानों का नितान्त अभाव है परन्तु नई कॉलोनियों में, जिनको योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है, उनमें पार्कों का प्रावधान रखा गया है। आमोद–प्रमोद भू–उपयेाग हेतु कुल 78ण्95 एकड़ भूमि है जो विकसित क्षेत्र का 7.22 प्रतिशत है। नगरीय मानदण्डों की अनुपातिक दृष्टि से नगर में आमोद–प्रमोद के सार्वजनिक स्थलों का अभाव है।

2.12 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक

नाथद्वारा में कुल 130.97 एकड़ भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है जो विकसित क्षेत्र का 11.98 प्रतिशत है। नाथद्वारा में वाँछित योजना मानदण्डों की अनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/ऐतिहासिक, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ व जनोपयोगी सुविधाओं का अभाव है।

2.12.1 शैक्षणिक :

शैक्षणिक संस्थाएँ समुदाय के आदर्शों का दर्पण है जिनसे हमें समुदाय की संस्कृति की आत्मा तथा जीवन की पद्धति को समझने का मौका मिलता है। नाथद्वारा में पिछले दशकों की तुलनात्मक दृष्टि से साक्षरता में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.87 प्रतिशत दर्ज

की गई जो प्रदेश की साक्षरता दर 60.04 प्रतिशत एवं जिले की साक्षरता दर 55.65 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2011 में नगर की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति तालिका–5 में दर्शायी गयी है।

तालिका–5

शैक्षणिक संरचना, नाथद्वारा–2011

क्र. सं.	स्तर/कक्षा	आय समूह	विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या	प्रत्येक विद्यालय के छात्रों की औसत संख्या	विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	6–10	3590	156	23
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	11–13	1668	120	14
3.	माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय (9–12)	14–17	1686	140	12
4.	महाविद्यालय	18 से ऊपर	1095	550	2
5.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	18 से ऊपर	54	54	1

(स्त्रोत : कन्सल्टेन्ट सर्वेक्षणए 2011)

नाथद्वारा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी जिनमें विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर की अध्ययन सुविधा उपलब्ध है जो कि नाथद्वारा में शैक्षणिक प्रगति का मुख्य प्रतीक है जिसमें 1095 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अतिरिक्त 4 महाविद्यालय निजी स्तर पर संचालित हैं। नगर में 23 प्राथमिक विद्यालय, 14 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 12 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। अधिकतर विद्यालयों में खेल के मैदान व खुले स्थानों का अभाव है। नगर में एक संस्कृत विद्यालय तथा एक 54 छात्रों के प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है।

2.12.2 चिकित्सा सुविधाएँ :

नाथद्वारा में एक राजकीय चिकित्सालय संचालित है। इसमें बहिरंग मरीजों की चिकित्सा के साथ अंतरंग रोगियों के लिए 200 शैय्याओं की व्यवस्था है। नगर में एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है जिसमें 15

शैय्याओं की सुविधा अन्तःरोगियों के लिए है। उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त नगर में 50 बिस्तरों का चिकित्सालय, 30 बिस्तरों के दो नर्सिंग होम, एक टी.बी. क्लिनिक, व 2 आयुर्वेदिक औषधालय निजी स्तर पर सेवारत हैं, एक 6 बिस्तरों का परिवार कल्याण केन्द्र भी सेवारत है।

2.12.3 सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक :

नाथद्वारा वैष्णव धर्म की मुख्य पीठ है। इसलिए लगभग 350 वर्षों से यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। भारत वर्ष एवं विदेशों में कुछ पूजनीय एवं ख्याति प्राप्त धार्मिक स्थलों में श्रीनाथजी के मन्दिर का स्थान उच्चतम है। भारत के प्रत्येक कोने में धर्म का प्रभाव सदा से रहा है। भारतीय जीवन का हर क्षेत्र चाहे वह राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हो, वह धार्मिक जीवन से प्रभावित है।

श्रीनाथ जी का मंदिर ही नाथद्वारा की आत्मा है। इसके आस–पास ही मानवीय मूल्यों का संचालन हो रहा हैं। मन्दिर की गतिविधियों पर ही नगर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनायें उत्सवों के रूप में प्रकट होती हैं जिनमें अन्नकूटोत्सव, जन्माष्टमी, नन्द महोत्सव, छप्पन भोग, डोल–हिण्डोले, पाटोत्सव, गोपाष्टमी, राधाष्टमी, राघवाष्टमी, अधिकमास, वामन जयंती, गोवर्धन पूजा इत्यादि हैं।

भारत के वैभवशाली प्रधान तीर्थ स्थलों में वल्लभ सम्प्रदाय प्रधान पीठ नाथद्वारा को विशिष्ठ स्थान प्राप्त है। यहाँ के विशाल मन्दिर में श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रतिष्ठित है। राजस्थान प्रदेश की यह पावन पुरी ब्रज संस्कृति का केन्द्र होने से यहाँ के सभी रीति–रिवाज, त्यौहार, उत्सवों के आयोजनों में ''ब्रजभूमि'' की सांस्कृतिक परम्पराओं का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है।

श्रीनाथ जी के अतिरिक्त ''श्री नवनीत प्रियाजी'', ''श्री विट्ठल नाथजी'', ''श्री वनमाली लाल जी'', व ''श्री कल्याणराय जी'' आदि मन्दिर प्राचीन काल से ही दर्शनीय हैं।

नाथद्वारा में बोलचाल की भाषा मेवाड़ी है, एवं वेषभूषा भी मेवाड़ के अन्य क्षेत्रों की तरह है परन्तु सांस्कृतिक परम्परा में ''ब्रज'' प्रदेश की प्रमुख भूमिका है।

2.12.4 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

नाथद्वारा नगर में पुरानी आबादी में 9 व्यापारिक बैंक कार्यरत हैं यथा एस.बी.बी.जे., बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान बैंक तथा ऑरियन्टल बैंक हैं। सुखाडिया नगर में टेलीफोन एक्सचेंज, भारतीय प्रसारण निगम व मुख्य डाकघर पुराने बस स्टैण्ड के पास संचालित हैं। नगर में तीन पैट्रोल पंप कार्यरत हैं जिनमें से दो पुराने बस स्टैण्ड के पास तथा एक पैट्रोल पंप, कॉलेज के समीप स्थित है। नाथद्वारा मंदिर द्वारा 10 धर्म–शालाएँ, 3 कॉटेजेज एवं 3 डोरमेटरीज संचालित हैं। निजी क्षेत्र में 4 धर्मशालाएँ एवं 6 कॉटेजेज भी सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। इनके अलावा नगर में करीब 70 गेस्ट हाउस एवं होटल चल रहे हैं। एक सार्वजनिक विभाग का डाक बंगला एवं आर.टी.डी.सी. का गोकुल होटल है। प्रतिवर्ष दर्शनार्थी व पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण ठहरने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ठहरने की सुविधा के साथ वाहन पार्किंग का अभाव है। नगर में पुलिस थाना, दो सार्वजनिक पुस्तकालय व 15 सामुदायिक केन्द्र संचालित हैं। नगर के लिए अग्निसेवा 15 किमी. दूर राजसंमद में हैं।

2.13 जनोपयोगी सेवाएँ

2.13.1 जलापूर्ति :

नगर में स्वच्छ जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1960 से व्यवस्था है। नगर में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत नन्दसमंद बांध, चिकलावास, बनास नदी, कुएँ व ट्यूबवैल व्यवस्था हैं। नगर में 9 ओवरहैड टैंक हैं जिनके द्वारा अलग–अलग बस्तियों में जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। वर्तमान नगर में विभिन्न इलाकों में हैण्डपंप भी लगे हुए हैं।

नगर में 90 मिनट प्रतिदिन जल वितरण किया जाता है। लगभग 63 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति की जा रही है। जल वितरण के नेटवर्क की लम्बाई 50.50 किमी. से 63.7 लाख लीटर प्रतिदिन नगर को आपूर्ति की जा रही है। तालिका–6 में नाथद्वारा जल कनेक्शनों की संख्या दर्शाई गई है।

<u>तालिका–6</u>

जलापूर्ति वितरण, नाथद्वारा–2011

क्रम सं.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1	घरेलु	6632	92॰19
2	वाणिज्यिक	197	2॰74
3	औद्योगिक	128	1॰78
4	सरकारी कार्यालयों में	167	2॰32
5	सार्वजनिक	70	0॰97
	योग	**7194**	**100**

(स्त्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग – नाथद्वाराए 2011)

2.13.2 जल मल निकास एवम् ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन :

वर्तमान में नाथद्वारा में भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण गंदगी का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। सेफ्टी टेंक व सोकपिट गृह मालिकों द्वारा बहुत ही कम मात्रा में तैयार करवाये गये हैं अतः नगर की खुली नालियों में ही जल मल निकासी की व्यवस्था है इससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। नालियों द्वारा बहाकर ले जाया गया दूषित व गन्दा मलबा निचली सतह पर स्थित तालाबों के अन्दर बह कर पहुँचता है जिससे तालाबों को स्वच्छ रखा जाना संभव नहीं है एवं इस कारण तालाबों का पानी भी गंदा रहता है।

नगर में 6780 घरेलु सेप्टिक टेंक, 295 वाणिज्यिक क्षेत्रों में सेप्टिक टेंक एवं 20 संस्थानिक क्षेत्रों में सेप्टिक टेंक हैं। 1003 घरेलु क्षेत्रों में खुली नालियों का प्रयोग करते हैं। नगर में जलमल निकास के ठोस प्रबन्धन का अभाव है। नगर का ढलान आम तौर पर उत्तरी–पूर्व से दक्षिणी–पश्चिम की ओर है। नाथद्वारा में घर–घर ठोस कचरा प्रबन्धन का अभाव है। नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा तीन ट्रैक्टर ट्रॉली (दो टन प्रति ट्रैक्टर) दिन में दो बार ठोस कचरा ले जाने के लिए जनसेवा में हैं। लगभग 360 टन कचरा प्रतिमाह नगर से

इकट्ठा कर 3 किमी. दूर गुन्जोल ग्राम के पास में स्वीकृत 2.53 हैक्टेयर भूमि पर डाला जाता है। इस कार्य के लिए 120 कर्मचारी कार्यरत हैं।

2.13.3 विद्युत आपूर्ति :

नगर में विद्युत व्यवस्था के रख–रखाव और विद्युत का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा संचालित की जाती है। विद्युत आपूर्ति कांकरोली ग्रिड सब स्टेशन 132 के.वी. द्वारा प्राप्त हेाती है। नाथद्वारा में तीन और 33 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन मौजूद हैं उनमें से एक 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बागेरी का नाका पर स्थित है। नगर में विद्युत का लगभग 74.04 प्रतिशत उपयोग घरेलु उपयोग पर होता है तथा इनके कनेक्शनों की संख्या 6637 हैं।

वर्ष 2011 में विभिन्न उपयोगों में विद्युत ऊर्जा के प्रयोग की स्थिति तालिका–7 द्वारा दर्शायी गई है।

तालिका–7

विद्युत आपूर्ति, नाथद्वारा–2011

क्रमांक	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलु	6637
2	औद्योगिक	907
3	वाणिज्यिक	1005
4	सार्वजनिक	15
5	कृषि	197
6	एस. आई. पी.	118
7	एम. आई. पी.	7
8	जलदाय विभाग	42
9	मिश्रित लोड	36
	योग	**8964**

(स्त्रोत : विद्युत विभाग– नाथद्वाराए 2011)

2.13.4 श्मशान एवं कब्रिस्तान :

नाथद्वारा कस्बे में 2 श्मशान घाट हैं जो क्रमशः कुंठवा रोड पर 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन और घटिया वाला बाग के पास स्थित हैं तथा दूसरा श्मशान घाट सुखाड़िया नगर में स्थित है। नगर में एक कब्रिस्तान भी है जो कि यशोदा नन्दन बाग के पीछे स्थित है।

2.14 परिसंचरण

2.14.1 यातायात व्यवस्था :

नाथद्वारा दक्षिण में उदयपुर एवं उत्तर में अजमेर नगर से जुड़ा हुआ है। नाथद्वारा–उदयपुर एवं नाथद्वारा–राजसंमद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर वाहनों का यातायात निरन्तर बढ़ता जा रहा है। राजसंमद मार्ग पर लालबाग के समीप बस स्टेण्ड स्थित है जिसे केन्द्र प्रवर्तित लघु एवं मध्यम कस्बों की एकीकृत विकास येाजना के अंतर्गत एक कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित किया गया है। निजी वाहनों के ठहरने की व्यवस्था पुराने बस स्टैण्ड क्षेत्र में चुंगी नाका के पास है। यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से बहुत ही भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। नाथद्वारा से गुजरने वाले ट्रकों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि नाथद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित होने से दिल्ली, मुम्बई को जाने वाला यातायात यहीं से होकर गुजरता है एवं ट्रकों को मुख्य मार्ग पर ही खड़ा कर दिया जाता है। पुरानी आबादी में कोई निश्चित सड़क व्यवस्था नहीं है। पुरानी आबादी की तुलना में नई विकसित आबादी क्षेत्र में सड़कें अपेक्षाकृत अच्छे स्तर की बनी हुई हैं। पुरानी आबादी में सड़कों की चौड़ाई 10 फिट से 15 फिट के बीच हैं। नगर में परिसंचरण के अंतर्गत 117.2 एकड़ भूमि है जो विकसित भूमि का 10.72 प्रतिशत है।

नगर में दो पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध हैं जिसमें से श्रीनाथ जी के मंदिर के पास रिसाला चौक में स्थित है तथा दूसरा लाल बाग के पास स्थित है।

2.14.2 बस तथा ट्रक टर्मिनल :

कस्बे में राजसंमद मार्ग पर, लाल बाग के समीप बस स्टैण्ड स्थित है जहाँ से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों का संचालन होता है। कस्बे में ट्रक स्टैण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है जो सामान्यतः मुख्य मार्गों पर ही खड़े रहते हैं एवं मरम्मत कार्य भी वहीं करवाते हैं।

2.14.3 रेल एवं हवाई सेवा :

नाथद्वारा को रेल सेवा मण्डीयाना से उपलब्ध है जो कि नाथद्वारा शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। राजसमंद रोड़ पर हैलीपेड विकसित है। शहर में भारतीय रेल आरक्षण केन्द्र भी उपलब्ध है।

2.15 पर्यटन

नाथद्वारा, पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़, अजमेर, माउण्टआबू व झीलों की नगरी उदयपुर के सुनहरे चतुष्कोण के मध्य में स्थित है। करीब 350 वर्षों में नाथद्वारा ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। अरावली की सुरम्य घाटियों की परिधि से लगी राजस्थान की धर्मास्थली राणा प्रताप की रणस्थली हल्दीघाटी यहाँ से 16 किमी. दूर है।

प्रमुख पर्यटन स्थल यथा चितौड़ का कीर्ति स्तम्भ, विजय स्तम्भ, माउण्टआबू, देलवाड़ा के मन्दिर, उदयपुर की झीलें व महल, अजमेर में ख्वाजामुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आदि स्थानों पर आने वाले पर्यटक नाथद्वारा होकर ही जाते हैं। आधुनिक भौतिक युग में साधनों की प्रचुर मात्रा होने से नगर में लगभग 2.50 लाख पर्यटक प्रति वर्ष दर्शन हेतु आते हैं।

नाथद्वारा में श्रीनाथजी के मन्दिर के अतिरिक्त अन्य मंदिर हैं जो श्रृद्धालुओं के लिए दर्शनीय हैं जिनमें प्रमुखतः श्री कल्याणराय जी, श्री नवनीत प्रिया जी, श्री बिटठ्ल नाथजी, श्री वनमाली लाल जी, व श्री कल्याणराय जी आते हैं।

अन्नकूटोत्सव :

ब्रज भूमि श्रीकृष्ण की लीला स्थली रही है। इस कारण नाथाद्वारा में सभी त्यौहार, उत्सव आदि का संबंध उनकी चिर परिचित किसी न किसी लीला से संबंधित होता है। अन्नकूट भी उनमें से एक है। यह उत्सव उनकी इन्द्र–यज्ञ–भंग तथा गोर्वधन धारण लीला से संबंधित उत्सव माना जाता है।

जन्माष्टमी :

प्रातःकाल श्रीनाथ जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। रात्रि में श्रीकृष्ण जन्म के अनुसार रात्रि 12 बजे जन्म दर्शन होते हैं।

नन्द महोत्सव :

नाथद्वारा का यह प्रमुख उत्सव है। इस दिन नवनीत प्रिय जी, श्रीनाथजी के सामने, सोने के पालने में झूलते हैं। बड़े–बड़े मटकों में दूध–दही भरा होता है। सम्पूर्ण मन्दिर में दूध–दही की नदी बह उठती है।

इनके अलावा छप्पन भोग, डोल–हिण्डोले, पाटोत्सव गोपाष्टमी, राधाष्टमी, अधिकमास, वामन जयंती, गोवर्धन पूजा इत्यादि पर्यटकों के दर्शनीय उत्सव हैं। यहाँ पर बागान जिनसे मन्दिर के लिए फल–फूल, साग–सब्जी आदि की आपूर्ति की जाती है, भी आकर्षण के केन्द्र हैं।

लाल बाग :

यह, नगर में राजसंमद मार्ग पर स्थित है। सुन्दर बगीचे के साथ सुन्दरकुण्ड, अजायबघर व श्री महाराज के राजप्रसाद स्थित हैं।

वृन्दावन बाग :

लाल बाग से 1 किमी. की दूरी पर बनास नदी के किनारे यह विशाल बगीचा स्थित है। यहाँ वृक्षों की सघनता, फलों के अीधिक्य हैं।

यशोदा नन्दन बाग :

बनास नदी के उस पार प्राकृतिक सुषमा एवं छोटी–बड़ी घाटियों की साज सज्जा से दर्शनीय बगीचा है। यहाँ श्रीकृष्ण चन्द्र की भव्य प्रतिमा, कवियों की मूर्तियाँ हैं। इनके अलावा गणगौर घाट के महल एवं बगीचा, रामभोला के कुण्ड व प्राकृतिक स्थल गणेश टेकरी, कछवाई बाग आकर्षण केन्द्र हैं।

2.16 गौशालाएँ

नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की दूध आपूर्ति हेतु श्रीनाथ जी की निजी 13 गौशालाएँ हैं जिनमें लगभग 1400 गायें हैं एवं स्वयं के चारागाह हैं। इनमें से चार गौशालाएँ नाथद्वारा में ही संचालित हैं एवं अन्य गायें, बछडें, भैसें तथा सांडों को दूर की 9 गौशालाओं में भेज दिया जाता है। गौ–पालन, शुद्ध दूध, दही आदि भगवान श्री कृष्ण को अतिप्रिय थे जिनकी परम्परा हजारों वर्षों बाद भी नाथद्वारा में देखने को मिलती हैं।

अन्नकूटोत्सव एवं गोर्वधन पूजा के दिन सभी गायों को नाथद्वारा में लाया जाता है। उनको स्नान करवाया जाता है एवं श्रृंगारित किया जाता है।

3
नियोजन की संकल्पना

3

नियोजन की संकल्पना

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि इसके विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है। इस प्रकार नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना इसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक–सास्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ–साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है।

व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पश्च भूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान कर दिया। पुराने शहरों के बाहरी इलाकों में अनेकों विकास कार्य जैसे बाजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं किन्तु नगर का यह नया विकास नियोजित रूप में नहीं हो पाता है जिसके परिणामस्वरूप तीव्रगति से विकासशील अन्य नगरों की भांति यहाँ भी यदृच्छ विकास संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहाँ के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

भौतिक नियोजन, नगर एवं प्रादेशिक नियोजन की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप विकास की दशा आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है। एक बार प्रत्येक नगर के संबंध ऐसे वृहद निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन–प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में विचार करना अत्यंत आसान हो जाता है। इस प्रकार एक सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में ऐसे

प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अंतिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकांकी रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ एक भू–उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू–उपयेाग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ठ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जनआकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके निश्चित उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती हैं। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उक्त सिद्धान्तों को आधार बना कर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। नाथद्वारा नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी उद्देश्यों की पालना की गयी है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

नाथद्वारा नगर का विकास धार्मिक नगर के रूप में किया जाना चाहिए एवं इसी परिकल्पना को ध्यान में रखकर भविष्य के विकास की योजना, धार्मिक क्रियाकलापों में प्राचीन पद्धति संरक्षित रखते हुए, आधुनिक दृष्टि के साथ समन्वय रखना चाहिये। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं :

1. वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास सही और पदसोपान के क्रम के अनुसार नगर, समुदाय एवं स्थानीय स्तर पर उपयुक्त स्थान पर होना आवश्यक है ताकि इनसे सभी आवासीय क्षेत्र पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। यह मुख्य बाजार एवं वाणिज्य क्षेत्रों की भीड़ को कम करने में सहायक होगा।
2. थोक व्यापार की गतिविधियों को स्पष्ट एवं उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए।

3. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिये भूमि का आरक्षण समुचित मात्रा में किया जाना चाहिये जो कि मुख्य सड़कों एवं आवासीय क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्तावित की जानी चाहिए।

4. नगर में स्थित खाली भूमि उपलब्ध है जिन पर अतिक्रमण तथा यदृच्छ विकास की प्रबल संभावना है। अतः इन सभी क्षेत्रों का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिये।

5. नगर के लिए एक विस्तृत परिरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए तथा नगर के आस–पास वन विभाग की पहाड़ियों व श्मशान घाटों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। नाथद्वारा नगर क्षेत्र में श्रीनाथजी मंदिर की अहम् भूमिका है। मंदिर के विशिष्ट कार्यकलापों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मंदिर से संबंधित बाग–बगीचों को सुरक्षित एवं विकसित किया जावे। नदी के आस–पास के क्षेत्र व उसके अन्तर्गत तालाबों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवम् अतिक्रमण मुक्त रखा जाना चाहिये।

6. नगर अपनी पाश्च भूमि के लिए प्रादेशिक केन्द्र का भी कार्य करता है अतः यहाँ व्यवसायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा आदि सुविधाओं की आवश्यकताओं का आंकलन करते समय स्थानीय जनसंख्या के साथ–साथ प्रादेशिक क्षेत्र की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

7. नगर के धार्मिक महत्व एवं विशिष्टता को देखते हुए नगर के समीप प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। शहर से हटकर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये। शहर में कतिपय विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग के प्रबल विकास हेतु विशिष्ट योजना बनायी जानी चाहिये।

8. नगर के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदंडों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं व अन्य सेवाओं हेतु अधिकतम विशिष्ट प्रस्ताव रखे जाने चाहिये। यात्रियों की सुविधाओं के विकास हेतु अधिक से अधिक सामुदायिक सुविधाओं के प्रस्ताव होने चाहिये।

9. नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि इससे विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त मार्गाधिकार की सड़कों का विकास हो सके। श्रीनाथ जी के मंदिर तक दर्शनों हेतु सुगम रूप से पहुँचने हेतु मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को हटाना चाहिए। विशेष आयोजनों के समय दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे दर्शनों के लिए लम्बा इन्तजार करना पड़ता है इसलिए एक अलग से वन–वे मार्ग विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही मंदिर के निकटतम स्थान पर समूचित पार्किंग व्यवस्था हेतु विशिष्ट योजना बनायी जानी चाहिये जिससे दर्शनार्थियों की परेशानी न्युनतम हो। ट्रक/बस व अन्य भारी वाहनों के प्रवेश को नगर में हतोत्साहित करना चाहिये।

10. नगर के विशिष्ट धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, इससे संबंधित क्रियाकलापों हेतु भू–उपयोग योजना में विशिष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये व श्रद्धालुओं के आकर्षण, मनोरंजन, आमोद–प्रमोद सुविधाओं हेतु स्थानीय स्तर पर सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाना चाहिए।

11. औद्योगिक गतिविधियाँ एकीकृत रूप से ऐसे स्थल पर विकसित की जानी चाहिए जिससे नगर के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो, किन्तु नगर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

12. नगर का वातावरण स्वच्छ, सुन्दर व स्वस्थ बना रहे। इसके लिए जल मल निस्तारण और नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

13. प्रमुख धार्मिक स्थल ''श्रीनाथ जी'' के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के ठहरने हेतु पर्याप्त होटल/धर्मशालायें व गेस्ट हाउस सस्ते व आधुनिक सुविधाओं युक्त उपलब्ध करवाने चाहिए।

14. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में होने वाले अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण क्षेत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में केवल कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों को ही अनुमति दी जानी चाहिए।

15. नगर के तालाबों के आसपास आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं। इन तालाबों की सीमा निर्धारण कर इसका संरक्षण करते हुए इनके चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

4
भावी आकार

4
भावी आकार

वर्ष 2001 में नाथद्वारा की जनसंख्या 37,026 व्यक्ति थी। वर्ष 2011 में यहाँ की जनसंख्या 20.25 प्रतिषत वृद्धि दर के साथ बढ़कर 44,253 व्यक्ति हो गई। भविष्य में वृद्धि दर 30 प्रतिषत रहने की संभावना है। उक्त वृद्धि दर से वर्ष 2031 में यहाँ की जनसंख्या 72,800 व्यक्ति हो जाने का अनुमान हैं। नाथद्वारा के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में नाथद्वारा नगर सहित 17 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 18521 एकड़ (75 वर्ग किमी) है। आधार वर्ष 2011 में विकसित क्षेत्र 1093.54 एकड़ है। नगर के विकसित क्षेत्र का जनघनत्व लगभग 89 व्यक्ति प्रति एकड़ है। क्षितिज वर्ष 2031 तक बढ़ी हुई 28,277 जनसंख्या के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवष्यकता होगी। इसके लिए क्षितिज वर्ष 2031 में कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 4925 एकड़ प्रस्तावित किया गया़ है।

नाथद्वारा, राजसमन्द जिले का एक मुख्य नगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग–8 पर स्थित होने के कारण इसके विकास की काफी संभावना है। यह उदयपुर से 48 किमी. एवं राजसंमद से 15 किमी. की दूरी पर स्थित है। इन दोनों शहरों से नजदीकियाँ व वाहनों की अच्छी सुविधा होने से कम समय में दूर से पर्यटक नाथद्वारा पहुँचना इस धार्मिक स्थान के भावी विकास के मुख्य कारण होंगे।

नगर का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं राज्य राजमार्ग–49 के आसपास के क्षेत्रों में व राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के पष्चिम की ओर होने की संभावना है। मार्बल उद्योग व इससे संबंधित गतिविधियों से नगर में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

4.1 जनांकिकी

किसी भी नगर के विकास में अनेक कारण होते हैं, उनमें से एक मुख्य कारण उस नगर की जनसंख्या है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार नाथद्वारा की जनसंख्या 24,856 थी जो 24.23 प्रतिषत वृद्धिदर के साथ वर्ष 1991 में 30,878 दर्ज की गई। वर्ष 2001 में नगर की जनसंख्या 19.91 प्रतिषत वृद्धिदर के साथ 37,026 पायी गयी जो वर्ष

2011 में 20.25 प्रतिषत वृद्धिदर के साथ 44,523 दर्ज की गई। नगर में वर्ष 1981 से 2001 तक उत्तरोत्तर जनसंख्या व लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय वृद्धि के दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि और आव्रजन को ध्यान में रखा गया है। प्रवासन कारक का आंकलन करते समय नगर की अर्थव्यवस्था की भावी संभावनाओं पर पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। वर्ष 2021 में वृद्धिदर 25.42 प्रतिषत व वर्ष 2031 के लिए वृद्धिदर 30.22 प्रतिषत का अनुमान लगाया गया है। इससे क्षितिज वर्ष 2031 के लिए नगर की जनसंख्या 72,800 हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1981 से 2031 के लिए जनसंख्या वृद्धि का चित्रण निम्न तालिका–8 में दर्षाया गया हैः–

तालिका–8

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, नाथद्वारा : 1981–2031

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर (:)
1.	1981	24,856	31.56
2.	1991	30,878	24.23
3.	2001	37,026	19.91
4.	2011	44,523	20.25
5.	2021′	55,902	25.42
6.	2031′	72,800	30.22

(स्त्रोत : जनगणना–2011 एवं ′ अनुमान)

4.2 व्यवसायिक संरचना

नगर का विकास उसमें आवासित जनसंख्या को रोजगार उपलबध करवाने में सहायक होता है। रोजगार नहीं मिलने पर पलायन प्रारम्भ हो जाता है इसलिए विकास में रोजगार भी महत्वपूर्ण कारण है। प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के विकास को ध्यान में रखकर अनुमानित की गई है। इसी तरह समान कारक तत्वों वाले नगरों का अध्ययन किया गया है तथा यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 में नाथद्वारा में कामगारों का

सहभागिता अनुपात 33 प्रतिशत होने का अनुमान होगा। यह अनुपात वर्ष 1991–2001 में 29.72 प्रतिशत था व दशक 2001–2011 में 32 प्रतिशत अनुमानित है।

नाथद्वारा में ''श्रीनाथ जी का मन्दिर'' धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। इससे संबंधित गतिविधियाँ बढ़ने से नगर के विकास की गति तीव्र होगी। नगर में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों का विकास होगा। इस क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन गतिविधियों में वृद्धि के कारण अनुमान किया जाता है कि कृषि कार्य में लगे लोगों के प्रतिशत में कमी आयेगी। इससे अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तालिका–9 में व्यवसायिक संरचना का विवरण दिया गया है।

तालिका–9

प्रस्तावित व्यवसायिक संरचना, नाथद्वारा – 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2011′		2031′	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	:	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	:	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	:
1.	काश्तकार, कृषि मजदूर, वानिकी इत्यादि	326	2.96	405	3.00	480	2.00
2.	खनन् एवं संबंधित कार्य	–	–	270	2.00	480	2.00
3.	उद्योग	2307	20.97	2968	22.00	7199	30.00
4.	निर्माण	–	–	675	5.00	1200	5.00
5.	व्यापार एवं वाणिज्य	–	–	3374	25.00	6479	27.00
6.	परिसंचरण	–	–	1080	8.00	2400	10.00
7.	अन्य सेवायें	8371	76.07	4723	35.00	5760	24.00
	योग	**11004**	100.00	**13495**	100.00	**23998**	100.00
	कामगारों का सहभागिता अनुपात	29.72		32.00		33.00	

(स्त्रोत : जनगणना–2011 एवं ′ अनुमान)

यह अनुमान लगाया गया है कि विकास के साथ–साथ कार्यशील व्यक्तियों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से कम होकर पर्यटन उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं हेतु बढ़ेगा तथा इनमें कामगारों की वृद्धि होगी। उपरोक्त तालिका से विष्लेषण का करने पर नगर मुख्य आर्थिक कार्यकलाप पर्यटन है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है इसलिए सर्वाधिक 30 प्रतिषत कामगार पर्यटन एवम् इससे सम्बन्धित गतिविधियों के लिए अनुमानित किया गया है। इस प्रकार 27 प्रतिषत व्यापार एवम् वाणिज्य तथा 24 प्रतिषत अन्य सेवा में कामगार शामिल होने का अनुमान लगाया गया है।

4.3 नगरीय क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 10 (8) नविवि/3/97 जयपुर दिनांक 21/5/2003 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 वर्ष 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत नाथद्वारा के नगरीय क्षेत्र में नाथद्वारा सहित 17 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 18521 एकड़ है। नगरीयकरण क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

नाथद्वारा की जनसंख्या आधार वर्ष 2011 में 44,523 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 72,800 होने का अनुमान है। योजना अवधि में लगभग 28,277 व्यक्तियों की बढ़ोतरी होगी। प्रतिवर्ष नगर में 1413 व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान है। विकास के निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु 4925 एकड़ (1993.08 हेक्टेयर) नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का प्रस्तावित जनघनत्व लगभग 45 व्यक्ति प्रति हेक्टेयऱ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास को ध्यान में रखते हुए नगर का विस्तार राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं राज्य राजमार्ग–49 के आसपास होने का अनुमान है।

4.5 प्रस्तावित योजना परिक्षेत्र

सुधार एवं भावी विकास के उद्देष्य से नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र को 4 योजना परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऐसा निर्णय करते वक्त विकास के विद्यमान विषेषताओं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मुख्य लक्षणों, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू–उपयेाग और उनके पारस्परिक सम्बन्धों आदि तथ्यों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। पुराना षहर एवं परिधि नियंत्रण पट्टी को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना परिक्षेत्र, आवासीय, व्यवसायिक, आमोद–प्रमोद, संस्थानिक एवं जनसुविधाओं, अन्य सामुदायिक आवष्यकताओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर इकाई के रूप में होगा। विस्तृत योजना बनाने के लिए इनमें से प्रत्येक योजना परिक्षेत्रों को लघु योजना क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा। इन 4 योजना परिक्षेत्रों और इनके साथ सम्बद्ध समग्र क्षेत्रों को तालिका–10 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका–10

योजना परिक्षेत्र, नाथद्वारा वर्ष 2031

क्र. सं.	योजना परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अनुमानित जनसंख्या
अ	श्रीनाथ जी मंदिर योजना परिक्षेत्र	1198	485	30,000
ब	सुखाड़िया नगर योजना परिक्षेत्र	1781	721	32,800
स	लाल बाग योजना परिक्षेत्र	1247	505	10,000
द	परिधि नियंत्रण पट्टी	14295	5787	–
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	**18521**	**7498**	**72,800**

(स्त्रोत : अनुमान)

प्रत्येक योजना परिक्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। राजस्व सीमाओं के साथ वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा क्षितिज वर्ष 2031

तक प्रस्तावित की गई सीमाओं को स्पष्ट किया गया है जो 17 राजस्व गांवों को मिलाकर बनाया गया है। इनमें से सबसे पहले योजना परिक्षेत्र प्राथमिक रूप से संस्पर्षी नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित करता है।

4.5.1 श्रीनाथ जी मंदिर योजना परिक्षेत्र– अ

इस परिक्षेत्र के अंतर्गत श्रीनाथजी का मंदिर तथा परिक्रमा से लगता हुआ क्षेत्र, लोधाघाटी, तेलियों की तलाई बस्ती के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें बड़ा बाजार, गोवर्धन स्कूल, लाल बाजार, विट्ठल नाथजी का मंदिर एवं बाग, चिकित्सालय व अन्य पुराने विकसित आवासीय क्षेत्र इस योजना के आंचल के प्रमुख घटक हैं। यह योजना परिक्षेत्र व्यापारिक कार्यकलापों एवं दर्षनार्थियों का मुख्य केन्द्र रहेगा। यह परिक्षेत्र 1198 एकड़ (485 हेक्टेयर) भूमि में फैला हुआ है। इस योजना परिक्षेत्र के लिए वर्ष 2031 में 30,000 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है जिसमें नवीन योजनाओं के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र, हॉस्पिटल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्य सामुदायिक–सुविधाएँ एवं सार्वजनिक सुविधाएँ प्रस्तावित हैं।

4.5.2 सुखाड़िया नगर योजना परिक्षेत्र– ब

इस योजना परिक्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत विकास योजना की सहायता से विकसित की गई सुखाड़िया नगर आवासीय योजना का क्षेत्र, सिहाड़ का तालाब का क्षेत्र, ऊपली ओडन राजस्व ग्राम की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के दोनों ओर का क्षेत्र, अरिहन्त प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के साथ–साथ का सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्य रूप से सम्मिलित है। इस योजना परिक्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यक प्रतिष्ठान एंव उद्योग विकासोन्मुख हैं तथा शैक्षणिक गतिविधियों को विषेष महत्व दिया गया है। इसमें स्वामीनारायण मन्दिर, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, अनियोजित औद्योगिक इकाइयाँ व दो महाविद्यालय संचालित हैं। नवीन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवम् अर्द्धसरकारी कार्यालय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, बस स्टैण्ड एवं दर्षनार्थियों के लिए सामुदायिक सुविधाएँ, पर्यटक सुविधाएँ तथा सार्वजनिक सुविधाएँ, राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के एक ओर औद्योगिक क्षेत्र, महाविद्यालय के दूसरी ओर आवासीय भू उपयोग व परिवहन नगर, स्वच्छ वातावरण के लिए नये क्षेत्र

विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान राजकीय कार्यालयों के लिए उपलब्ध भूमि के अलावा, उन क्षेत्रों से लगती हुई भूमि का विस्तार प्रस्तावित है। यह योजना परिक्षेत्र पूर्ण नियोजित क्षेत्र है तथा इसका क्षेत्रफल 1781 एकड़ (721 हेक्टेयर) है। इस योजना परिक्षेत्र के लिए वर्ष 2031 में 32,800 जनसंख्या होने का आंकलन किया गया है।

4.5.3 लाल बाग योजना परिक्षेत्र– स

इस क्षेत्र में लाल बाग व उसके आसपास का क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। इसमें रोडवेज बस स्टैण्ड, दामोदर स्टेडियम, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, लाल बाग से वृन्दावन बाग तक के नये प्रस्तावित क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस योजना परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के पष्चिम में एवं पूर्व की तरफ की भूमि एवं कोठारिया जाने वाली सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र की भूमि को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन नगर, गोदाम व भण्डारण अन्य सामुदायिक सुविधाएँ तथा आवासीय भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस योजना परिक्षेत्र के अंतर्गत 1247 एकड़ (505 हेक्टेयर) भूमि रखी गयी है। इस योजना परिक्षेत्र के लिए वर्ष 2031 में 10,000 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

4.5.4 परिधि नियंत्रण पट्टी– द

उपरोक्त तीनों योजना परिक्षेत्रों (नगरीयकरण योग्य क्षेत्र) के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य के भाग को योजना परिक्षेत्र–द में शामिल किया गया है। इसे परिधि नियंत्रण पट्टी के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विद्यमान स्वाभाविक विकास के साथ–साथ कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, कृषि आधारित लघु उद्योग, खनन् कार्य, फार्म हाउस, रिसोर्ट आदि अन्य गतिविधियाँ अनुज्ञेय हैं। शहर के भावी विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम् महत्व रहेगा। इस योजना परिक्षेत्र का उद्देष्य प्रमुख सड़कों के सहारे नगरीयकरण योग्य प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा के बाहर होने वाले अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास को नियंत्रित करना है। इस योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 14295 एकड़ (5787 हेक्टेयर) है।

5
भू–उपयोग योजना

5

भू–उपयोग योजना

भू–उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना, नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं संभावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयेाग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिये। नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र की भू–उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि यह अंतर संबंधित नगरीय समस्याओं की सम्पूर्ण रेंज के लिए उपयुक्त समाधान दे सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में संतुलित तथा समन्वित विकास ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है, उन्हीं के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आँकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू–उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय गतिविधियों के लिए भूमि चिन्हित की गई है।

क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू–उपयेाग योजना हेतु आधार वर्ष 2011 के भू–उपयेाग में कमी के मध्य नजर एवम् योजना अवधि में बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए मदवार भू–उपयोग के लिए उपयुक्त घनत्व के मानदण्डों के अनुसार भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत नगरीयकरण योग्य क्षेत्रफल 4925 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इसमें से विकास योग्य भूमि का क्षेत्रफल 4568 एकड़ है जो नगरीयकरण क्षेत्र का 92 प्रतिशत है।

विकास योग्य क्षेत्र से 62 प्रतिशत आवासीय, 5 प्रतिशत वाणिज्यिक, 5 प्रतिशत औद्योगिक, 2 प्रतिशत राजकीय–सरकारी एवम् अर्द्धसरकारी कार्यालय, 6 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, 3 प्रतिशत आमोद–प्रमोद तथा 15 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गई है। निम्नांकित तालिका–11 में वर्ष 2031 में नगर के भू–उपयेाग के प्रतिरूप को दर्शाती है :–

तालिका–11

भू–उपयोग योजना, नाथद्वारा वर्ष–2031

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	2850	62	58
2.	वाणिज्यिक	220	5	4
3.	औद्योगिक	231	5	4
4.	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	74	2	1
5.	आमोद–प्रमोद	140	3	3
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	285	6	6
7.	परिसंचरण	673	15	14
8.	पर्यटन	95	2	2
	विकास योग्य क्षेत्र	**4568**	**100.00**	–
9.	जलाशय	98	–	2
10.	वृक्षारोपण	246	–	5
11.	पौधशाला एवं फलोद्यान	13	–	1
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**4925**	**–**	**100.00**

(स्त्रोत : अनुमान)

5.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गई है कि इनसे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले, साथ में कार्य केन्द्रों और आमोद–प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय न्यूनतम हो। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ होंगे और लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही दिन प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 72,800 लोगों को बसाने के लिए 45 व्यक्ति प्रति एकड़ के अनुसार कुल नगरीयकरण योग्य 4925 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी इनमें से 2850 एकड़ आवासीय भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है।

आवासीय क्षेत्रों में विद्यमान विषमताओं और असंतुलनों को समाप्त करने के उद्देश्य से आवासीय घनत्व का एक युक्तिसंगत प्रतिरूप विकसित किया गया है। इस प्रतिरूप के अंतर्गत आवासीय घनत्व के तीन वर्ग प्रस्तावित किये गये हैं यथा :– 50–100 व्यक्ति प्रति एकड़, 101–150 व 151 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़ भू–उपयोग मानचित्र में, आवासीय क्षेत्रों की स्थिति को, कार्य केन्द्रों के निकट ही प्रस्तावित की गई है। पुराने शहर में 150 व्यक्तियों से अधिक प्रति एकड़ का उच्चतम घनत्व बना रहेगा 50–100 व्यक्ति प्रति एकड़ का न्यूनतम घनत्व बाहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित किया गया है जिनके विकास का कार्य इस योजना के आगामी चरणों में किया जायेगा। यह नीति अपनाई गई है कि नये आवासीय क्षेत्रों को 70 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत घनत्व के आधार पर विकसित किया जाये।

5.1 (1) आवासन

आवास, मानव समुदाय की एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया गया है कि नगर पालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थाओं से क्षण सुविधा उपलबध कराये। स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रम को भी अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय माँग को पूरा किया जा सके।

5.1 (2) फुटकर व्यवसाय (इन्फॉरमल सेक्टर) के लिए आवास

नियोजन का दर्शन उस समग्र नगरीय संकुल को अपने अंदर समेट लेता है जो अनेकों अपेक्षाकृत स्वयं पूर्ण समुदायों/संहतों से बना हुआ होता है। समीपता, निकटवर्ती–रेखाएं, सामाजिक और पारिवारिक सम्पर्क आदि को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ आकर्षण बिन्दु जैसे प्राथमिक विद्यालय, सुविधाजनक दुकानें एवं उद्यान आदि के आस–पास अनेकों संहतों को एकीकृत समूह के रूप में विकसित किया जाता है ताकि यह समूह 2000–3000 जनसंख्या को समाने वाली एक योजना इकाई बने। इस प्रकार की चार से पांच योजना इकाईयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी, जिसकी जनसंख्या लगभग 10000 व्यक्तियों की होगी। ऐसे प्रत्येक योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शोपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जायेगा। इस प्रकार नाथद्वारा नगरीय

क्षेत्र की 72,800 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शोपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ मास्टर प्लान के अनुवर्तन कार्यक्रम के रूप में क्षेत्रीय योजनाओं की विस्तार से व्याख्या करते वक्त निर्धारित की जायेगी।

5.1 (3) नगरीय नवीनीकरण

प्रदत्त ओर अप्रचलन की मात्रा के आधार परीक्षण, पुर्नस्थापना, पुर्नविकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। पुर्नस्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए चलाया जायेगा जो महत्वपूर्ण स्मारक वर्तमान में जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में हैं एवं ऐसे आवास जो नागरिकों के लिए खतरा बन सकते हैं। पुर्नविकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जायेगा जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं परन्तु उन्हें हटाया जाना संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों का स्पष्ट चित्रण करने हेतु विशेष अध्ययन किये जायेंगे। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जावे कि विस्थापन कम से कम हो। योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे प्रकाश, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कों आदि की समुचित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर प्लान का यह एक महत्वपूर्ण अनुवर्तीय कार्य होगा।

5.2 वाणिज्यिक

अपनी पश्चभूमि के लिए नाथद्वारा व्यावसायिक और व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 तक नगर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संस्थानों में 6479 श्रमिक या कुल श्रमिकों का 27 प्रतिशत नियोजित होने लगेगा। अतः इन सुविधाओं को युक्तिसंगत ढाँचे में बाँटा जाना वांछित है, जिससे आवासीय क्षेत्रों से वाणिज्यिक केन्द्र तक सुगम यातायात व दूरी को न्यूनतम किया जा सके। मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों के अंतर्गत 220 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है जो विकास योग्य क्षेत्र का 5 प्रतिशत है।

नाथद्वारा धार्मिक पवित्र नगर होने के कारण, धार्मिकता के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधियाँ भी विकसित हो रही हैं। पिछले तीन दशकों में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या में वृद्धि हो रही है। मन्दिर परिसर के आसपास वाणिज्यिक

गतिविधियों को अधिक तर्क व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु सुगम व अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तालिका–12 में वर्णित गतिविधियों को दर्शाया गया है।

तालिका–12

वाणिज्यिक गतिविधियों के भू–उपयोग का वितरण, नाथद्वारा–2031

क्र.सं.	प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियाँ	क्षेत्रफल एकड़ में
1.	केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र	100.2
2.	थोक व्यापार एवम् विशेष बाजार	18.28
3.	भण्डारण एवम् गोदाम	49.34
	योग	**167.82**

(स्त्रोत : अनुमान)

5.2 (1) केन्द्रीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर में मन्दिर परिसर के आसपास का क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र माना जाता है। इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक संभावना नहीं है। थोक व्यापार एवम् भण्डारण वाले क्षेत्रों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर यातायात, पार्किंग एवम् सामान को लाने व ले जाने की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। नगर में उपलब्ध खाली स्थलों का नियोजन के मानदण्डों के अनुसार चयन कर 4 सी.सी. केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। इनके लिए कुल 100.2 एकड़ भूमि आरक्षित रखने का प्रस्ताव किया गया है।

5.2 (2) सामुदायिक केन्द्र

मुख्य व्यापारिक एवम् वाणिज्यिक केन्द्र नगर के मध्य में घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है जहाँ पार्किंग व सामान लादने व उतारने की सुविधाओं का अभाव है। केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात का भार कम करने के लिए नाथद्वारा में विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि शहर के चारों तरफ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो

सके। सामुदायिक केन्द्र में खुदरा, वाणिज्यिक दुकानें, चलचित्र, होटल, पेट्रोल पम्प, व्यवसायिक कार्यालय एवम् सामुदायिक सभागार आदि की सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान रखा गया है।

मुख्य व्यापारिक क्षेत्र एवम् सामुदायिक केन्द्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान में बहुत सी स्थानीय एवम् सुविधाजनक दुकानों का भी प्रावधान रखा गया है। इनका विस्तृत विवरण स्थानीय योजना बनाते समय प्रस्तावित किया जायेगा। ऐसे केन्द्रों में खुदरा दुकानें, सर्विस दुकानें, डाकघर एवम् सामुदायिक भवन आदि होंगे। ये प्रस्तावित केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15–20 मिनट समानान्तर की दूरी पर स्थित होंगे।

5.2 (3) थोक व्यापार एवम् विशेष बाजार

विद्यालय में दामोदर स्टेडियम के पश्चिम में कृषि उपज मण्डी संचालित है। नगर के लिए कृषि उत्पादों, निर्माण सामग्री, फल सब्जियों आदि के लिए थोक व्यापार बाजारों की स्थापना हेतु भूमि की सम्भावित माँग को पूरा करने की दृष्टि से इसका आकार बड़ा करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा राजसमंद रोड पर गुन्जोल चौराहे के पास थोक व्यापार बाजारों की स्थापना हेतु भूमि प्रस्तावित की है।

भविष्य में ऐसे युक्तिसंगत और पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किये जावें और उनकी स्थापना ऐसे सुविधाजनक स्थानों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जाय कि इनमें वस्तुओं का लदान विस्तृत पैमाने पर होगा और इसकी वजह से भारी यातायात की समस्याएँ न्यूनतम होंगी।

5.2 (4) भण्डारण एवम् गोदाम

वर्तमान में औद्योगिक व्यवसायिक स्तर तथा भावी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गोदाम व भण्डारण सुविधाओं के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों का निर्धारण करना होगा। गोदाम भण्डारण तथा गोदामों के निर्माण हेतु लगभग 49.34 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के साथ ऊपली ओडन व राजसमंद रोड पर गुन्जोल चौराहे के पास है।

5.3 औद्योगिक

वर्तमान में नाथद्वारा में मध्यम श्रेणी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। नाथद्वारा में गृह उद्योग व छोटे आकार के कुटीर उद्योग ही कार्यरत हैं। इनमें मुख्यतया सोप–स्टोन एवं चिप्स, क्रेशर, स्टोन कटिंग एवं पोलिशिंग ही हैं। गृह उद्योगों में मीनाकारी, चित्रकारी, रंगाई, छपाई, जूता बनाना, कपड़े सिलना, ऑटो रिपेयर, आटा चक्कियाँ आदि प्रकार के गृह उद्योग चल रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्र

वर्तमान में औद्योगिक ईकाईयाँ नाथद्वारा के पूर्व में राजसमंद रोड पर गुन्जोल चौराहे के पास एवं पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के साथ ऊपली ओडन में स्थित हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में एवं अन्यत्र अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक ईकाईयों को नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाये तब ही वांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का आबादी वाले क्षेत्रों से दूर राजसमंद रोड पर गुन्जोल चौराहे के पास रिक्त भूमि पर आरक्षण किया गया है जिससे औद्योगिक ईकाईयों से पैदा होने वाले प्रदूषण से आवासीय क्षेत्रों में होने वाले प्रभाव को रोका जा सके।

5.4 राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय

नाथद्वारा में सरकारी कार्यालयों हेतु नियोजित परिसर चिन्हित नहीं हैं। सरकारी विभाग अलग–अलग स्थलों पर संचालित हैं जिनमें उपखण्ड कार्यालय, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. आदि 26 कार्यालय हैं। आधार वर्ष 2011 के अनुसार राजकीय सेवा में लगभग 1306 कर्मचारी कार्यरत हैं। विभिन्न सरकारी एवम् अर्द्धसरकारी कार्यालय एक साथ होने से आम जनता को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पडेगा इसलिए एक ही जगह 74 एकड़ भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के पास न्यायलय परिसर के साथ प्रस्तावित की गई है जो विकास योग्य क्षेत्र का 2 प्रतिशत है।

5.5 आमोद–प्रमोद

मास्टर प्लान की यह योजना विभिन्न स्थानों पर उचित मानदण्डों के आधार पर सक्रीय एवं मनोरंजनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रस्तावित की गई है। नाथद्वारा में जनसंख्या के अनुपात में आमोद–प्रमोद की सुविधाओं की कमी है। क्षितिज वर्ष 2031 तक आमोद–प्रमोद हेतु 140 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल विकास क्षेत्र का 3 प्रतिशत है। योजना क्षेत्रों में खुले स्थलों का प्रस्ताव किया गया है ताकि स्थानीय लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके।

उद्यान, खुले स्थल, खेल का मैदान एवं स्टेडियम :

सार्वजनिक उद्यानों ओर खुले स्थानों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि यह किसी सीमा तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते है। वर्तमान में नाथद्वारा में 13 उद्यान एवं बाग–बगीचे हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिये। स्थानीय स्तर, पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्ति संगत योजना का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है।

विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जायेगा, साथ ही श्रीनाथजी के सभी बागों को यथावत रखा गया है क्योंकि मंदिर में इन्हीं बागों से फल–फूल, पत्तियाँ, ताजा सब्जियाँ एवं अनाज, सेवा के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। नगर की सामाजिक व सांस्कृतिक परम्परा बनाये रखने के लिए स्टेडियम में श्रीनाथजी से सम्बन्धित उत्सवों, मेलों व सत्संग आदि के लिए छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

नगर की जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क एवं खुले स्थल नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं। वर्तमान में नगर में लाल बाग के पश्चिम में एक विकसित स्टेडियम है। खेल के मैदान ज्यादातर स्कूलों में ही हैं। ऊपली ओडन से महुवा सड़क पर 22 एकड़ भूमि स्टेडियम के लिए प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान में विभिन्न स्थानों पर पार्क एवं खुले स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के चारों परियोजना क्षेत्रों में यथोचित मानदण्डों के अनुसार 140 एकड़ भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधायें, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएँ जैसे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल–मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा श्मशान एवं कब्रिस्तान इत्यादि आती हैं। नाथद्वारा में जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ उक्त सुविधाओं (शैक्षणिक को छोड़कर) का विस्तार एवं विकास नहीं होने से वर्तमान में ये सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। इन समस्त सुविधाओं को शहर के निवासियों को नियोजित रूप से उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। आधार वर्ष में सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत विकसित क्षेत्र का लगभग 11.98 प्रतिशत अर्थात् 130.97 एकड़ था। वर्ष 2031 में उक्त सुविधाओं हेतु 285 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 6 प्रतिशत है।

5.6 (1) शैक्षणिक

नाथद्वारा उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। कस्बा होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से विद्याध्ययन हेतु विद्यार्थी यहाँ आते हैं। यहाँ पर सरकार की नीतियों एवम् भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्षितिज वर्ष 2031 तक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 142 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इस नीति के आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या 72,800 के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाएँ मास्टर प्लान के भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाया नहीं गया है। केवल माध्यमिक एवम् सीनियर माध्यमिक विद्यालय एवम् महाविद्यालय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं के भू–उपयोग दर्शाये गये हैं। इनके लिए 78 एकड़ भूमि विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में प्रस्तावित की गई है।

नगर में आवासीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित हैं।

नाथद्वारा में कई स्कूल घनी आबादी क्षेत्र में संचालित हैं इससे संस्था के आसपास रहने वाली आबादी को यातायात व अन्य समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं इसलिए उनको आबादी से बाहर स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका–13

प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, नाथद्वारा–2031

क्र.सं.	स्तर/कक्षा	आयु समूह	विद्यालय जाने योग्य छात्रों की संख्या	विद्यालय में जाने वाले छात्रों का संभावित प्रतिशत	छात्रों की संख्या	अतिरिक्त विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	6–10	12037	90	10833	33
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	11–13	5694	80	4555	15
3.	माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक विद्यालय 9–12	14–17	5555	80	4444	12

(स्त्रोत : अनुमान)

5.6 (2) चिकित्सा

नगर में चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में एक राजकीय चिकित्सालय संचालित है इनमें 200 शैय्याओं की सुविधा है। इसके अलावा 15 शैय्याओं वाला राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय व 6 बिस्तरों का परिवार कल्याण केन्द्र सेवारत है। निजी स्तर पर एक चिकित्सालय, दो नर्सिंग होम, एक टी.बी. क्लीनिक, दो आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं। नगर की प्रस्तावित जनसंख्या व नगर के हिन्टर लैण्ड को ध्यान रखते हुए प्रस्तावित नगर स्तरीय अस्पताल की स्थापना हेतु 31 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। स्थानीय जनसंख्या हेतु नाथद्वारा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों और अंतरोगी सुविधाओं वाले औषधालयों की आवश्यकता होगी। इन सुविधाओं के लिए स्थल का चयन सेक्टर योजनाएँ तैयार करते वक्त किया जाना प्रस्तावित है। नगर में एक पशु चिकित्सालय, लाल बाग के पास में संचालित है। इसके अलावा 7.5 एकड़

क्षेत्रफल का पशु चिकित्सालय पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के साथ ऊपली ओडन में प्रस्तावित किया गया है।

5.6 (3) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

अन्य सामुदायिक सुविधाओं जैसे धर्मशालाएँ, पुलिस स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, अग्निशमन केन्द्र, सामाजिक–सांस्कृतिक रंगमंच, पुस्तकालय, वाचनालय, युवा केन्द्र आदि के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

इन सुविधाओं की आवश्यकताएँ मानते हुए भूमि उपयोग योजना में विभिन्न स्थानों पर स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए कुल 34.5 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। ऐसी सुविधाएं जिससे वृहत जन क्षेत्र लाभान्वित होता है यथा– बारातघर, धर्मशाला व धार्मिक सत्संग भवन आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि में किया जा सकता है।

5.6. (4)सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटन

लगभग 300 वर्ष पूर्व श्रीनाथजी के मन्दिर की स्थापना के साथ इसके आसपास परिवारों के आवासित होने से नाथद्वारा ने विद्यमान में तृतीय श्रेणी के नगर का दर्जा प्राप्त कर लिया। नाथद्वारा में श्रीनाथजी के मन्दिर की प्रसिद्धि देश व विदेशों में फैली हुई है इसलिए यहाँ औसत रूप से हजारों पर्यटक एवम् दर्शनार्थी पहुँचते हैं। नगर में अलग–अलग समुदायों, समाजों व धर्मों के लोग शान्ति पूर्ण जीवनयापन कर रहे हैं।

नाथद्वारा वल्लभ सम्प्रदाय की एक सुप्रतिष्ठित पीठ है। यहाँ मन्दिर की पूजा–पाठ व अन्य धार्मिक गतिविधियाँ, ब्रज संस्कृति के अनुसार की जाती हैं। यहाँ की भाषा व वेशभूषा मेवाड़ी है। इस प्रकार मेवाड़ व ब्रज संस्कृतियों का अनुपम संगम नाथद्वारा में देखने को मिलता है। नगर पवित्र धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। यहाँ पर मन्दिर आधारित गतिविधियों से वाणिज्यिक एवं व्यापार, स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध है। इस नगर में दर्शनार्थियों की प्रतिवर्ष वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सुविधा हेतु

होटल, जलपान गृह जैसी पर्यटन सुविधाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पर्यटन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर ऊपली ओडन के पास 95 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत होटल, टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग, हेण्डीक्राफ्ट मार्केट, कॉटेजेज, जलपान गृह, पर्यटक सूचना केन्द्र, व्यवसायिक सुविधा, बैंक एटीएम तथा अन्य सुविधाओं का समावेश किया जा सकता है। युक्तिसंगत जिर्णोद्धार योजना द्वारा विश्व प्रसिद्ध मंदिर के आस–पास के क्षेत्रों को पुनः विकसित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि दर्शनार्थियों को सुविधा मिल सके तथा आवागमन सुगम हो सके। प्रस्ताव है कि नगर के आस–पास की पहाड़ियों पर घना वृक्षारोपण किया जावे ताकि पर्यावरण संवर्धन हो सके।

5.7 जन उपयोगी सुविधाएँ

स्वच्छ जल, विद्युत एवम् जल–मल निकास की उचित व्यवस्था, नगरीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकतायें हैं। उपयुक्त जलापूर्ति के अभाव में किसी भी नगर का जीवन स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। इसी प्रकार गन्दे जल–मल निकास तथा नालियों के अभाव में स्वच्छ वातावरण नहीं बन सकता। जन उपयोगी सुविधाओं के लिए कुल 40 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

5.7 (1) जलापूर्ति

वर्तमान में नाथद्वारा में औसत जल वितरण लगभग 63 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जो मानदण्डों के अनुसार काफी कम है। पानी का दैनिक उत्पादन 430 किलोलीटर प्रतिदिन है। नगर में आधार वर्ष 2011 में 6 व्यक्तियों पर एक घरेलु कनेक्शन है। मानदण्डों के अनुसार प्रतिदिन नगर में जल लगभग 100–125 लीटर प्रति व्यक्ति आपूर्ति प्रस्तावित है। क्षितिज वर्ष 2031 तक नगर की जनसंख्या 72,800 व्यक्ति हो जायेगी, नगर में 5488 अतिरिक्त कनेक्शन एवं इसी अनुपात में अन्य मदों में कनेक्शनों का अनुमान है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उक्त जनसंख्या हेतु पानी की उचित मात्रा में सप्लाई हेतु योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (2) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

नाथद्वारा में जल–मल निकास हेतु पर्याप्त नियोजित व्यवस्था नहीं है। शहर में खुली नालियाँ अनुपयुक्त होने के कारण वर्षा ऋतु में पानी प्रायः सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। आसपास के निचले इलाकों में स्थित तालाबों में जाकर गंदा पानी एकत्रित हो जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है एवं बीमारियों के बढ़ने का खतरा बना रहता है। नगर में सीवरेज व्यवस्था का अभाव है। नाथद्वारा कस्बे के लिये यह आवश्यक है कि कस्बे में एक सीवरेज व्यवस्था की योजना तैयार कर क्रियान्वित की जावे। सीवरेज के समुचित ढंग से निकास हेतु भौगोलिक स्थिति व ढ़लान को दृष्टिगत रखते हुये परिधि नियंत्रण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सीवरेज परिशोधन संयंत्र लगाया जाना उचित होगा ताकि भविष्य में शहर को प्रदूषण से बचाया जा सके। ठोस कचरा निस्तारण हेतु स्थानीय निकाय द्वारा घर–घर से कचरा संग्रहण प्रणाली लागू किये जाने का प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

ठोस कचरे के निस्तारण हेतु परिधि नियंत्रण क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से कचरे का पृथक्कीकरण कर इसको रिसाइकल करने हेतु योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की एकीकृत शहरी योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत सिवरेज प्लान्ट व ठोस कचरा प्रबन्धन की योजना बनाई गई है जिसका क्रियान्वयन भी हो गया है।

5.7 (3) विद्युत आपूर्ति :

नगर में सुचारू रूप से अधिक विद्युत व्यवस्था करनी होगी। नगर में घरेलु कनेक्शन आधार वर्ष 2011 में 6637 हैं। लगभग 6 व्यक्तियों पर एक घरेलु कनेक्शन है। क्षितिज वर्ष 2031 तक 12120 घरेलु कनेक्शन हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार 5488 नये घरेलु कनेक्शन व इसी अनुपात में अन्य मदों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के साथ अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. को क्षितिज वर्ष 2031 की 72,800 जनसंख्या के लिए विद्युत व्यवस्था हेतु योजना बनाया जाना प्रस्तावित है इसलिए नगर की

जनसंख्या, पर्यटन व आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा की माँग भी बढ़ेगी। यह अपेक्षा की जाती है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. इस नगर को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाता रहेगा।

5.7 (4) श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में नगर में स्थित श्मशान घाट और कब्रिस्तान को यथावत् रखा गया है। नगर में तालाब, खुले स्थान, पार्क व श्मशान जो नगर के मध्य में आ गये हैं, उनके चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। नये श्मशान घाट व कब्रिस्तान, माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थापित सुसंगत स्थल का चयन कर निर्धारित प्रकिया अुनसार किया जाना प्रस्तावित है।

5.8 परिसंचरण :

यह नगर अपनी पश्चभूमि से एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। यहाँ पर धार्मिक स्थल की प्रसिद्धि से पर्यटकों व दर्शनार्थियों में वृद्धि से उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस नगर के लिये अपने प्रदेश से वस्तुओं, यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5.8 (1) प्रस्तावित परिसंचरण योजना

यह नगर मुम्बई से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रादेशिक एवं स्थानीय यातायात निरंतर बढ़ता जा रहा है। शहर के भावी विकास हेतु इस प्रकार के प्रस्ताव किए गये हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के दूसरी तरफ कम से कम विकास हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि मार्ग के प्रस्तावित मार्गाधिकार में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं हो। नगर की परिसंचरण योजना से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं।

ऊपली ओडन से 30 मीटर की प्रमुख सड़क उच्च क्षमता लाइन के साथ–साथ मावली रोड तक एवं मावली रोड से कोठारिया मार्ग होकर गुन्जोल चौराहे से जोड़ने हेतु प्रस्तावित की गई है । यह मार्ग शहर के बाईपास का कार्य करता रहेगा।

- बागोल–राजसमंद रोड के लिए एक 30 मीटर की लिंक रोड गुन्जोल चौराहे से कुंचोली से होकर राज्य राजमार्ग–49 को जोड़ने हेतु प्रस्तावित की गई है।
- आबादी वाले क्षेत्र से होकर श्रीनाथजी मंदिर जाने वालों के लिए रिसाला चौक में पार्किंग सुविधा रखी गई है तथा उक्त रोड को बस स्टैण्ड से रिसाला चौक तक व तहसील कार्यालय मार्ग होते हुए बस स्टैण्ड तक वन–वे मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग–8 पर यातायात सुगम करने के लिए गोमती चौराहे से गुन्जोल चौराहे तक फोर–लेन मार्ग एवं नाथूवास चौराहे से बनास नदी तक एलीवेटेड मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
- तेलियों की तलाई योजना से कृषि उपज मंडी समिति को जोड़ने के लिये 30 मीटर की एवं 18 मीटर की मुख्य सड़क प्रस्तावित की गई है ताकि आस पास के ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले कृषि उत्पादनों को कृषि उपज मंडी तक सुचारू रूप से सुगम यातायात के द्वारा पहुचाया जा सके। इससे शहर में वाहनों के अनावश्यक प्रवेश को रोका जा सकेगा।
- इनके अलावा भी विकसित क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विभिन्न श्रेणी की नई सड़कें प्रस्तावित की गई है। इससे यातायात सुव्यवस्थित हो सकेगा। इस नगर की धार्मिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए दर्शनार्थियों के लिए श्रीनाथजी के मंदिर के आस पास के मार्ग को पैदल मार्ग प्रस्तावित किया गया है ताकि यातायात सुगम रहे।

तालिका–14

विद्यमान व प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, नाथद्वारा–2031

क्रम सं0	सड़कों का विवरण	न्यूनतम मार्गाधिकार (मीटर में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग–8 को	60
2	राज्य राजमार्ग–49 को तेलियों की तलाई योजना से	60
3	राज्य राजमार्ग–49 को नाथूवास चौराहे से	60
4	जोशियों की मादड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग–8 तक	30
5	घटिया वाला बाग से पानरियों की मादड़ी सड़क तक	30
6	ऊपली ओडन से हल्दी घाटी को	30
7	घटिया वाला बाग से बनास नदी के साथ–साथ हल्दी घाटी को	30
8	महुवा सड़क	24
9	श्रीनाथ इंजिनियरिंग कालेज के पीछे सर्कुलर लिंक	24

- नाथद्वारा कस्बे के भौतिक स्वरूप को देखते हुए, वाहनों द्वारा यातायात संभव नहीं है। वहाँ पर पैदल रास्तों/सड़कों का प्रावधान किया गया है। इन प्रस्तावित पैदल रास्ते को जोड़ने हेतु सीढ़ियाँ/रेम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार के प्रस्तावित रास्तों की चौड़ाई मानदण्डों से कम हो सकती है। परिसंचरण योजना के पदानुक्रम में विभिन्न सड़कों के प्रस्तावित मानक चौड़ाई को तालिका–15 में दर्शाया गया है।

तालिका–15

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, नाथद्वारा–2031

क्र.सं.	सड़क का प्रकार	मानक चौड़ाई (मीटर में)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	60
2	प्रमुख सड़कें	30
3	उप प्रमुख सड़कें	24
4	मुख्य सड़कें	18

(स्त्रोत : अनुमान)

5.8 (2) सड़क विस्तार एवं सुधार

भविष्य हेतु जो भी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं, उनका मार्गाधिकार निर्धारित नीति/मानदण्डों के अनुरूप होगा। वर्तमान में उपलब्ध मार्गाधिकार को कम नहीं किया जायेगा। नगर के मुख्य बाजारों में से सड़कों पर किये गये अवैद्य कब्जों एवं अवरोधों को हटाकर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जानी प्रस्तावित है। शहर की घनी आबादी क्षेत्रों में कतिपय बाधाओं के कारण जहाँ सड़कें निर्धारित मानकों के अनुसार चौड़ी किया जाना संभव नहीं है का पूर्व स्वीकृतियों के अनुसार एक श्रेणी निम्न स्तर पर नियोजित व व्यवस्थित पार्किंग सुविधायें विकसित की जानी प्रस्तावित हैं ताकि यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो। यातायात का दबाव व उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय यातायात समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मार्ग निर्धारित कर एक तरफा यातायात व्यवस्था के साथ प्रदूषण रहित सुगम सार्वजनिक नगरीय परिवहन का प्रबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

यह नीति निर्धारित की गई कि सभी वर्तमान सार्वजनिक मार्ग जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भू–उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, जहाँ तक संभव हो मानक चौड़ाई के मार्गाधिकार होंगे। किन्तु शहर के भीतरी स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाना संभव नहीं है। सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अच्छी प्राचीन इमारतों को तोड़े जाने की तुलना में वहाँ की सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मानदण्ड को भी अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में किये जाने वाले समस्त विकास कार्य भू–उपयोग योजना में उल्लेखित मानक चौड़ाई के परिसंचरण प्रतिरूप के अनुरूप होंगे। जहाँ भी आवश्यक हो सड़क अंतः परिच्छेदों की पुनः अभिकल्पना की जाये। ऐसे समस्त प्रस्ताव यातायात प्रबलता और संचलन पेटर्न पर आधारित होंगे। जक्शन स्थानों पर जहाँ कहीं भी आवश्यक सुधारों को लागू करने की दृष्टि से पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, वहाँ यातायात संकेत चिन्ह स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। नगर में बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुए गिरधर सागर से वल्लभ कॉटेज तक सुगम यातायात हेतु सड़क को 40 से 60 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव है।

5.8 (3) चौराहों का सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतन्त्र रूप से संचालन में जो बाधायें आती हैं, उनमें अनियोजित व गलत चौराहों तथा अपर्याप्त संख्या के कारण भीड़–भाड़ के साथ कार्य क्षेत्रों में विलम्ब से पहुँचना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। यातायात संबंधी अध्ययनों तथा आवागमन प्रणाली की सघनता को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की जाँच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाइन किया जाना प्रस्तावित है। नाथूवास चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग–8 व हल्दीघाटी रोड का तिराहा, बस स्टैण्ड के पास का तिराहा, जलदाय विभाग के पास का चौराहा का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.8 (4) बस स्टैण्ड एवं परिवहन नगर

नाथद्वारा नगर में वर्तमान में बसों के ठहरने व यात्रियों की सुविधा के लिए गोर्वधन कुण्ड के समीप एवं हल्दीघाटी तिराहे पर बस स्टैण्ड के प्रस्ताव रखे गए है। एक परिवहन नगर ऊपली ओडन के औद्योगिक क्षेत्र के पास व दूसरा परिवहन नगर गुन्जोल चौराहे के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पास प्रस्तावित किया गया है। इस योजना में ट्रकों के ठहरने, पार्किंग, ऑटो मोबाइल्स, वर्कशॉप आदि का प्रयोजन हेतु प्रावधान रखा गया है।

5.8 (5) पार्किंग व्यवस्था

नाथद्वारा में बढ़ते वाहनों के कारण यातायात सम्बन्धित समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। श्रीनाथजी के मन्दिर के आसपास 8–10 फिट चौड़ी गलियों के साथ सघन आबादी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के पास वाहन अपने आवासों में खड़ा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से वाहनों की सड़कों पर पार्किंग की जा रही है। इससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। देश, विदेशों से दर्शनार्थी, पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि से एवम् वाहनों की सुलभ उपलब्धता से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नगर में पार्किंग व्यवस्था हेतु दो पार्किंग जगह उपलब्ध हैं जिसमें से श्रीनाथ जी के मंदिर के पास रिसाला चौक के नाम से है तथा दूसरा पार्किंग स्थल लाल बाग के पास है।

5.8 (6) रेल एवम् हवाई सेवा

नाथद्वारा को रेल सेवा मण्डियाना से उपलब्ध है जो कि नाथद्वारा शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। राजसमंद रोड पर हैलीपेड विकसित है। शहर में भारतीय रेल आरक्षण केन्द्र भी उपलब्ध है।

5.9 परिधि नियंत्रण क्षेत्र :

नगर की परिधि पर अवांछनीय विकास पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2031 तक के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं विस्तार आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन होने के उपरान्त किया जा सकेगा। ग्रामीण आबादी का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवम् अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 के अंतर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग, ईंट–भट्टे, दुग्धशालायें, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन, फार्म हाउस, रिसोर्टस, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, एम्यूजमेंट पार्क, चमड़ा उद्योग, दाल मील, स्टोन पार्किंग, मोटल्स, वाटर पार्क इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

ग्रामीण विकास :

परिधि नियंत्रण पट्टी के अंदर किंतु प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित गावों का विकास नियोजित रूप में किया जायेगा। परिक्षेत्रीय विनियमन इन क्षेत्रों में भूमि के स्वीकृत उपयोगों को सुनिश्चित करेंगे।

5.10 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण :

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिये एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से गैसों के असन्तुलन अनुपात के कारण ओजोन परत कमजोर हो गई है जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन यथा :– वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू–जल दोहन,

अनियंत्रित खनन् आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इससे भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़, भूकम्प आदि आसामयिक प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में बनास नदी तथा अन्य तालाबों के किनारे वृक्षारोपण, पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे–सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, पर्वतीय क्षेत्र व नदी के किनारे आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इससे नगर को प्रदूषण से मुक्ति व प्राणवायु में वृद्धि तथा नगर की हरियाली में वृद्धि होगी जिससे नगर पर्यटकों को आकर्षित कर सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें हिस्सेदारी या सह–भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

पानी के स्त्रोत सीमित हैं। भूजल के अनियन्त्रित दोहन से भूजल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरंतर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडों, कुँओं आदि जल स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल पुर्नभरण एवं जल की रिसाइकलिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। नाथद्वारा में इस प्रकार के जो स्थल हैं, उनका संरक्षण करने के लिए इनके पानी को प्रदूषित होने से बचाना आवश्यक है। सभी सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक भवनों, बड़े व्यवसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुर्नभरण से संबंधित प्रावधान सुनिश्चित किया जाना, गंदे पानी को वैज्ञानिक तकनीक से शुद्ध कर पुनः रीसाईकिल कर बाग–बगीचों हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त हेतु स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से समुचित प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

6
योजना का क्रियान्वयन

6
योजना का क्रियान्वयन

नाथद्वारा कस्बे की योजना तैयार करने मात्र से ही योजनाबद्ध प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर के रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किया जावे। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यवहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें क्रियान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वयन उन क्रियाओं का स्वरूप है जो योजना को कार्यक्रम में स्थानान्तरित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संभावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकि मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि रहने और कार्य करने के स्थल के रूप में नाथद्वारा को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गंभीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान नगरपालिका नाथद्वारा का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएँ भी कार्यरत हैं, जो अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और

मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 क्रियान्वयन में सहयोग

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगरपालिका, नाथद्वारा का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि नाथद्वारा के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ शहर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, नाथद्वारा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, नाथद्वारा से निर्धारित राशि दे कर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका, नाथद्वारा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वन हेतु प्रभावशाली योजनाएँ तैयार करेगी। जलापूर्ति व जल–मल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगरपालिका, नाथद्वारा मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएँ तैयार कर क्रियान्वन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वन हेतु नगरपालिका, नाथद्वारा अपने क्षेत्राधिकार में क्रियान्वन का दायित्व वहन करेगी जबकि क्रियान्वन निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष, जिलाधीश, राजसमंद, सदस्य वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. होंगे। इस निगरानी समिति को

अधिकार होगा कि समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सह सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी। समिति वर्ष में दो बार मास्टर प्लान के क्रियान्वन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के नगरीय विभाग को भेजेगी।

खण्ड क्रिया पर आधारित विखंडित प्रगति, समन्वित विकास की योजना में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती है। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एव क्रियान्वन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ किया जाये और समुचित अधिकार दिये जायें। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू–उपयोग एवं भूमि अवाप्ति

नाथद्वारा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (बवउउपजउमदजेद्ध को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना वर्ष 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में की गई स्वीकृति यथा 90 बी के आदेश, आंवटन, भूमि

रूपान्तरण व नियमन, भू–उपयोग परिवर्तन, योजना का अनुमोदन, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया है, तो उसे समायोजित माना जाएगा ।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है। यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नाले, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। नगरपालिका सीमा का अकंन दस्तावेजों की प्रतियों के आधार पर किया गया है यदि सहवन से कोई वृद्धि/कमी रह गयी है तो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ही मान्य होगी । प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा– शिक्षा, चिकित्सा, पार्क एवं खुले स्थल, सार्वजनिक जन उपयोगी सुविधाओं एवं सड़कों के विकास बाबत् भूमि अवाप्त की जाये जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित हेाते है। नाथद्वारा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में जन सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और नाथद्वारा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय–2

मास्टर प्लान

3– राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :

(1) राज्य सरकार आदेष द्वारा यह निर्देष दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेष में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4– मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

(क) मास्टर प्लान में विभिन्न जोन परिनिष्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्षित की जायेगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और

(ख) उस ढांचे के, जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5– अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाषित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से

नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाषित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर, जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्ति अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देष दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवष्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देष देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए, जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाषित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाषन की तारीख से प्रवर्तन में आ सकेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

Notification No. F.4(32)LSG/A/59, dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962, Page 118.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :

RULES

1. **Short title and commencement**: (1) These rules may called ``The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962."

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. **Definitions - In these rules, unless the subject or context otherwise requires:**

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) ''Trust'' means a Trust as constituted under the Act,

(3) ''Section'' means a Section of the Act.

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Manner of Publication of draft Master Plan the contents thereof under section 5 (i).**

1.[(1) The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a copy thereof available for the inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form ``A'' in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days

from the date of the publication of said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for maximum period of 30 days for enabling more persons to file objection/suggestion with respect to the draft of Master Plan.]2

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans documents, namely:

(a) Town Map showing General Layout of the roads streets in the town.

(b) Base Map showing the Generalized exiting land use pattern, such as Residential, commercial, industrial, Public and Semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban area such as Residential, commercial, industrial, Public and Semi-public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any Other Maps, plans or matter which the officer or the authority deems fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regards.

4. **Approval of Master Plan by the state Government under section 6 :**

3 (1) After considering the objections/suggestions and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same **4** (if constituted) to the State Government for approval.

(2) When the Master plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form `B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day''.

---

1. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3 (123) TP/36, dated 24.21970 vide G.S.R. 96 pub in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.

2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21.9.1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27.9.1979, page 339.

3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) TP/63, dated 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub. In Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.

4. Substituted Vide F.9(101) UDH/111/83, dated 27.10.1983 pub. in Raj . Gaz. 4(Ga) (i) dated 16.2.1984 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.10(8)नविवि/3/97 जयपुर दिनांक 13 JUL 2011

:: **अधिसूचना** ::

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की पूर्व प्रसारित समसंख्यक दिनांक 21.05.2003 को निरस्त करते हुये वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को नाथद्वारा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:–

	राजस्व ग्राम का नाम
क्र.सं.	हिन्दी
1	पानेरियों की मादड़ी
2	बागोल
3	डिंगेला
4	जोशियों की मादड़ी
5	निचली ओडन
6	उलपुरा मगरा पाछला
7	गोपी कुआ
8	रावचा
9	खोखाढाणी
10	कुचोली
11	मोडवा
12	बड़ला वाला
13	नाथद्वारा
14	नाथूवास
15	उपली ओडन
16	गुंजोल
17	भलावतों का खेडा

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०
(पुरूषोत्तम बियाणी)
उपशासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
4. मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा।
7. रक्षित पत्रावली

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(8)नविवि/3/97 जयपुर, दिनांक : 22 NOV 2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.07.2011 के द्वारा यथा अधिसूचित "नाथद्वारा (जिला राजसमन्द) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, नाथद्वारा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक